भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
लखनऊ

Notice Inviting Tender (NIT)
(Only through e-Tendering portal)

भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के कार्यालय परिसर के लिए हॉर्टिकल्चर और बागवानी सेवाएं प्रदान करने के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के कार्यालय परिसर में हॉर्टिकल्चर और बागवानी कार्य प्रदान करने हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) के लिए पात्र फर्मों/एजेंसियों से ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह एक खुली निविदा (Open Tender) है। केवल वे फर्में जो सामान्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) पर पंजीकृत हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग लें सकेंगी। निविदा दस्तावेज़ 06 अगस्त, 2026 को शाम 06:00 बजे से वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे और यह डाउनलोड के लिए वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx पर भी उपलब्ध है।

2. यह एक दो-आवरण (two-cover) ई-निविदा प्रक्रिया है। पहले ई-आवरण में, केवल उन बोलीदाताओं का ईएमडी (EMD) जमा करने का प्रमाण और भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) होगा जिन्होंने नियत तारीख तक या उससे पहले बैंक को ईएमडी जमा कर दिया है। निविदा का भाग-I प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें बोलीदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। निविदा का दूसरा ई-आवरण अर्थात भाग-II (मूल्य बोली) में बैंक की मात्रा/सेवाओं की बिल ऑफ क्वांटिटि (BOQ) और बोलीदाताओं की मूल्य बोली होगी जिसे CPPP पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

3. उचित रूप से भरी गई निविदा दस्तावेज़ों को CPPP https://etenders.gov.in/eprocure/app पर अपलोड किया जाना है। सभी पूर्व-योग्यता (PQ) पत्र केवल CPPP पर अपलोड किए जाएंगे और बैंक द्वारा जांच के लिए निविदा के पहले ई-आवरण अर्थात भाग-I के खोले जाने के समय इन्हें डाउनलोड किया जाएगा।

ई-निविदा सं.	2026_RBI_286555
निविदा का माध्यम	ई-खरीद प्रणाली (पहला ई-आवरण जिसमें ईएमडी का प्रमाण तथा भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और दूसरा ई-आवरण अर्थात भाग-II - मूल्य बोली)
अनुमानित लागत	₹49,00,000 (उनचास लाख मात्र)

ईएमडी (Earnest Money Deposit) डी.डी./एनईएफटी के माध्यम से जमा करें और लेनदेन का विवरण UTR नंबर edlucknow@rbi.org.in पर भेजें/सूचित करें और https://etenders.gov.in/eprocure/app पर अपलोड करें	ईएमडी (₹98,000/- अंठानवे हजार रुपये मात्र) NEFT/DD के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में जमा करनी है: NEFT विवरण: खाता विवरण: - लाभार्थी खाता संख्या: -186003001 लाभार्थी IFSC: - RBIS0LKPA01
पक्षकारों के लिए एनआईटी डाउनलोड करने की तिथि	1800 बजे 06 अगस्त 2026
ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	1800 बजे 06 अगस्त 2026
ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा बंद होने की तिथि	1100 बजे 17 अगस्त 2026
बोली- पूर्व बैठक	11 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे ऑफलाइन, सम्पदा विभाग, तृतीय तल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	1100 बजे 17 अगस्त 2026
पहले ई-आवरण (भाग-I) को खोलने की तिथि	1200 बजे 18 अगस्त 2026 को
दूसरे ई-आवरण (भाग-II) को खोलने की तिथि	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में उत्तीर्ण होने वाले केवल उन बोलीदाताओं का दूसरा ई-आवरण अर्थात भाग-II (मूल्य बोली) एक बाद की तारीख को खोला जाएगा, और इसकी सूचना ई-मेल के माध्यम से योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी।
बोली की वैधता	निविदा के दूसरे ई-आवरण अर्थात भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोले जाने की तारीख से तीन महीने (90 दिन), जिसकी अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है, और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकते।
लेन-देन शुल्क	CPP पोर्टल द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार

इच्छुक निविदाकर्ताओं को आरबीआई, लखनऊ को NEFT/DD के माध्यम से ₹98,000 रुपये की राशि एर्नेस्ट मनी (EMD) के रूप में जमा करनी होगी।

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को प्रॉसेसिंग के दौरान अपेक्षित योग्यता (टेंडर दस्तावेज़ के भाग-I में उल्लिखित) के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो बैंक के पास उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिना ईएमडी के निविदाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक को सबसे कम बोली वाली निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है और बैंक को किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक को कोई वजह बताए बिना सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का भी अधिकार है।

यदि निविदा के संबंध में भविष्य में कोई संशोधन/ शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे उपरोक्तानुसार सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और CPPP की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा तथा उसे समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, लखनऊ

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा आमंत्रित की है। निविदा सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा सं.	2026_RBI_286555
निविदा का तरीका	ई-निविदा (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से
अनुमानित लागत	₹49,00,000 (रुपये उनचास लाख मात्र)
एनआईटी की तिथि (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) पार्टियों को डाउनलोड के लिए उपलब्ध है https://etenders.gov.in/eprocure/app	अगस्त 06, 2026 18:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग	11 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरी मंजिल, संपदा विभाग, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ में ऑफ़लाइन।
(i) एन.ई.एफ.टी/ डीडी के माध्यम से ब्याना जमा राशि जमा करें और लेन-देन की जानकारी (एन ई एफ टी के मामले में यूटी आर नंबर) edlucknow@rbi.org.in पर भेजें/फ़ॉरवर्ड करें (ii) निविदा शुल्क-	भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में एनईएफटी/डीडी के माध्यम से 98,000/- रुपये (अंठानवे हजार रुपये मात्र) (ई-निविदा में बोली के पैरा के अंतर्गत ब्यौरा) (ii) कुछ नहीं
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	17 अगस्त, 2026, 1100 बजे।
निष्पादन बैंक गारंटी	बैंक द्वारा निविदा स्वीकार करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्वीकृत अनुबंध मूल्य के 5% की निष्पादन बैंक गारंटी।
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख	06 अगस्त, 2026, 1800 बजे।
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि	17 अगस्त, 2026, 1100 बजे।
भाग-I के खुलने की तिथि (तकनीकी-	18 अगस्त, 2026, 1200 बजे।

वाणिज्यिक बोली)	
भाग-II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)	पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा
लेन-देन शुल्क	सीपीपी पोर्टल के अनुसार।

2. इच्छुक निविदाकारों को एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ को या लखनऊ में भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 98,000/- (रुपये अट्ठानवे हज़ार मात्र) की राशि का भुगतान करना होगा।

3. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईएमडी के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

4. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

5. निविदा में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया गया है, केवल भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

संपदा विभाग
8-9, विपिन खंड, गोमती नगर लखनऊ

कार्यालय परिसर, आरबीआई, लखनऊ में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, लखनऊ, "उद्यानिकी और बागवानी कार्य" में लगे योग्य वेंडरों से ई-टेंडरिंग के ज़रिए 17 अगस्त, 2026 (प्रात:11:00 बजे) या उससे पहले निविदा आमंत्रित करता है। इस काम का अनुमानित मूल्य सालाना लगभग ₹49 लाख (रुपये उनतालीस लाख मात्र) है। इच्छुक टेंडर भरने वालों को टेंडर की टेक्नो-कमर्शियल (भाग-I) बोली के साथ सभी शर्तों को पूरा करने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। इन्हीं पात्रता संबंधी दस्तावेज़ों और EMD की स्कैन की गई कॉपी को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) पर टेक्नो-कमर्शियल बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। टेंडर की जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in या CPP पोर्टल पर "टेंडर सेक्शन" देखें।

आवेदन पत्र पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो संगठन की ओर से ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत है। गलत या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

सफल एजेंसी कार्य सौंपने की तारीख से 14 दिनों के भीतर अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक करार को निष्पादित करेगी। यदि चयनित एजेंसी अनुबंध सौंपने के 14 दिनों के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है या नियत तारीख पर काम शुरू करने में विफल रहती है, तो प्रस्ताव पत्र को रद्द माना जाएगा और उसके द्वारा प्रस्तुत ईएमडी ₹98,000/- (रुपये नौ अट्ठानवे हजार मात्र) जब्त कर लिया जाएगा। सफल बोलीदाता को अनुबंध की अवधि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (स्वीकृत अनुबंध मूल्य का 5%) के रूप में प्रतिभूति जमा प्रदान करने की आवश्यकता होगी (सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)। कार्य सौंपने के 14 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस गारंटी को प्रस्तुत करने में विफलता या एजेंसी की ओर से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है या लागू होने पर गारंटी को इनवोक (इस्तेमाल) किया जा सकता है।

सफल बोलीदाता का ईएमडी निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने और करार पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाता का ईएमडी अनुबंध सौंपने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। यदि निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

निविदा जमा करने से पहले, बोलीदाता सामान्य नियमों और शर्तों के माध्यम से जा सकता है जिन पर बैंक द्वारा कार्य प्रदान किया जाएगा। बोलीदाता निविदा दस्तावेज में दी गई विनिदष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सामान्य नियम और शर्तें केवल सांकेतिक प्रकृति की हैं और यह बैंक को निविदाकर्ता को ऐसे आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत

होने के लिए लागू करने या उससे संबंधित करने से नहीं रोकेगा, या उन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेगा, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे रखरखाव कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसका निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा

(केवल ई-निविदा)

भाग – I

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

_____

जमा करने की अंतिम तिथि और समय	17 अगस्त 2026 को 1100 बजे
आवेदन पत्र/निविदा की लागत	सीपीपी पोर्टल पर बताए गए उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान।

संपदा विभाग, लखनऊ

<u>अस्वीकरण</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, लखनऊ ने इच्छुक पार्टियों को काम के बारे में शुरुआती जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके कोई अधिकारी या कर्मचारी इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई दावा करते हैं।

यह जानकारी पूरी नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी खुद की जाँच-पड़ताल करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा जमा करते समय केवल भारिबैं. द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास काम को आगे न बढ़ाने या काम के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में बताए गए समय-सारणी को बदलने या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। इसके पास रुचि दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

रुचि दिखाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

विषय-सूची

खंड	विवरण	पृष्ठ सं.
ए	निविदा की अनुसूची (एसओटी)	8-9
बी	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	10
सी	निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	11-15
डी	निविदा का प्रपत्र	16-19
ई	करारनामा	20-24
एफ	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश	25-36
जी	भाग I - तकनीकी बोली	37-41
एच	कार्य का विस्तृत दायरा	42-50
आई	अनुबंध के नियम और शर्तें	51-62
	अनुलग्नक I - बैंकरों का विवरण	63
	अनुसूचित बैंक से बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रपत्र	64
	अनुलग्नक II - ग्राहक की रिपोर्ट	65-66
	अनुलग्नक III– प्रोफार्मा के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी	67-70
जे	मात्राओं की अनुसूची	71-75
	भाग II - मूल्य बोली (ठेकेदारों की प्रतिलिपि)	76-79

खंड ए: निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1.	ई-निविदा सं.	2026_RBI_286555
2.	कार्यों का विवरण	आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा
3.	अनुमानित लागत	₹49 लाख (49 लाख रुपये मात्र)
4.	बयाना जमा राशि	भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में एनईएफटी/डीडी के माध्यम से 98,000/- रुपये (नौसी-आठ हजार रुपये मात्र) (ई-निविदा में बोली के पैरा के अंतर्गत ब्यौरा
5.	निविदा शुल्क	शून्य
6.	निष्पादन बैंक गारंटी	बैंक द्वारा निविदा स्वीकार करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्वीकृत अनुबंध मूल्य के 5% की निष्पादन बैंक गारंटी।
7.	निविदा का तरीका	सीपीपी पोर्टल के https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I – टेक्नो-कमर्शियल बिड और भाग II – प्राइस बिड) ऑनलाइन
8.	जिस तिथि से निविदा आमंत्रित करने की सूचना पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	06 अगस्त, 2026, 1800 बजे
9.	जमा करने की अंतिम तिथि	17 अगस्त, 2026, 1100 बजे।
10.	भाग I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	18 अगस्त, 2026, 1200 बजे।
11.	भाग II के खुलने की तिथि और समय-मूल्य बोली	निविदा का भाग- II बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसे नियत समय में निविदाकर्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा।

12.	लेन-देन शुल्क	सीपीपी पोर्टल के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान।

खंड बी: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह RBI का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) है। https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बिडर मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बिडर के लिए रजिस्ट्रेशन: इस प्रक्रिया में CPP पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है, जो मुफ़्त है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी तकनीकी सवाल के लिए कृपया 24x7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

इंटरनेशनल बिडर्स से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं

ईमेल सपोर्ट:

पब्लिश किए गए टेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए, बिडर्स से अनुरोध है कि वे संबंधित टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in

संपर्क व्यक्ति (RBI):

i) श्री दिशांत चंद्रायण: 0522-4667326

ii) श्री आशीष सिंह: 0522-4667345

ईमेल ID एस्टेट डिपार्टमेंट: edlucknow@rbi.org.in

खंड सी: ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ई-निविदा

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रदान करने के लिए दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित करता है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 49.00 लाख रुपये (उनचास लाख रुपये मात्र) है, जिसमें सभी करों को शामिल किया गया है।

1. **ई-टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड**: कंपनी / फर्म / एजेंसी जो निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क्रमांक	मापदंड	माँग
(i)	अवधि और अनुभव का प्रकार	केवल उन फर्मों के पास इसी तरह के काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव है अर्थात (ए) आवासीय भवनों / वित्तीय संस्थानों / बहुमंजिला कार्यालय भवन परिसर या शॉपिंग मॉल आदि सहित किसी अन्य प्रकार के भवनों में भूनिर्माण, बागवानी, बागवानी और घास काटने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध या (बी) भूनिर्माण, बागवानी, बागवानी और घास काटने और संबंधित कार्यों में। आवेदक को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी होगा। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और समाप्त होने की तिथि, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। आवेदक को न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(ii)	प्रत्येक पूरा हुआ काम (क्वालीफाइंग) का न्यूनतम मूल्य	आवेदन मंगाए जाने वाले महीने से ठीक पहले वाले महीने के आखिरी दिन तक, पिछले 5 सालों में इसी तरह के काम सफलतापूर्वक पूरे करने का अनुभव इनमें से कोई एक होना चाहिए: a. तीन ए एम सी /काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर या उससे ज़्यादा हो या b. दो ए एम सी /काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे ज़्यादा हो या c. एक ए एम सी /काम, जिसकी लागत पिछले 5 सालों में अनुमानित लागत के 80% के बराबर या उससे ज़्यादा हो (जुलाई 2026 तक पूरे किए गए काम)
(iii)	वार्षिक टर्नओवर	31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान, अनुमानित लागत के 100% या उससे अधिक का सालाना टर्नओवर होना चाहिए।
(iv)	सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट	फर्म को इस निविदा के लिए अनुमानित लागत से अधिक की राशि के लिए इच्छुक आवेदक के बैंकर द्वारा जारी नवीनतम 'सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात आज की तारीख में ₹ 49 लाख या उससे अधिक।
(v)	लखनऊ में कार्यालय/उपस्थिति	इकाई के पास लखनऊ नगरपालिका क्षेत्र में एक कार्यालय प्रतिष्ठान होना चाहिए जिसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचा और कर्मचारी, अधिकारी और अधिकृत कर्मचारी हों। यदि आवश्यक समझा जाए तो बैंक द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।

नोट: ग्राहक के प्रमाण पत्र के संबंध में, सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, प्रमाण पत्र पर संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष या उच्च रैंक में एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, प्रमाण-पत्र/संविदा राशि को साबित करने के लिए टीडीएस की प्रति प्रस्तुत करनी होती है।

2. कंपनी/फर्म का विवरण

a. कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण, विस्तार से, प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। एक साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम और पते आदि के साथ विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

b. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार के व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों की एक प्रति के साथ बैंकरों से नवीनतम अंतिम आदेश और ऋण योग्यता प्रमाण पत्र के साथ आयकर मूल्यांकन आदेश पिछले तीन वर्षों के लिए ऋण योग्यता और कारोबार के प्रमाण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

c. बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी जैसे कि नाम, वर्तमान संपर्क डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन अधिकारी और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर, आदि संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकरों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) प्रस्तुत की जानी चाहिए।

d. पंजीकृत कार्यालय के स्थानीय पते और स्थानीय संपर्कों का विवरण, यदि पंजीकृत कार्यालय लखनऊ के बाहर है। यदि आवश्यक समझा जाए तो बैंक इसे सत्यापित कर सकता है। संपर्क अवधि तक कार्यालय जारी रहेगा। पते में किसी भी बदलाव के मामले में, इसे तुरंत बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय, यह पाया जाता है कि फर्म ने लखनऊ में अपना कार्यालय बंद कर दिया है, तो इसे अनुबंध को तुरंत समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. <u>प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/विवरण:</u>

अ) अनुलग्नक II में दिए गए प्रारूप के अनुसार शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से ग्राहक रिपोर्ट।

आ). लागू कर पंजीकरण की प्रतियां, जैसे, पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि।

इ) संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

ई). ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां।
ए) UDYAM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (अगर कॉन्ट्रैक्टर MSME है)

उ). भारत में किसी अनुसूचित बैंक में उनके द्वारा रखे गए बैंक खाते का विवरण । विवरण इस दस्तावेज के साथ संलग्न अनुलग्नक । में प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।

ऊ). लाइसेंस संख्या ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970
ऋ). विवरण प्रदान करें कि क्या निष्पादित किसी भी कार्य में कोई सिविल मुकदमा लंबित है या यदि किसी बैंक ने पिछले तीन वर्षों में निविदाकर्ता के किसी भी ऋण को एनपीए के रूप में घोषित किया है।

ऌ). बैंक द्वारा मांगे जाने पर कोई अन्य दस्तावेज।
ध्यान दें: प्री-क्वालिफिकेशन पेपर और EMD पेमेंट के सबूत की स्कैन की हुई कॉपी को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) पर टेक्नो-कमर्शियल बिड (भाग-I) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। टेंडर भरने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) पर ई-टेंडर जमा करें। अगर आवेदक कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, तो वे उसे अपने लेटरहेड/पेपर पर CPP पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। फ़ॉर्म के हर पेज पर साइन करके उसे जमा करना होगा।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

5. पूर्ण किए गए कार्य का विवरण: कार्य (कार्यों) के ग्राहक-वार नाम, कार्य ((कार्यों) के निष्पादन के वर्ष, प्रदान किए गए कार्य ((कार्यों) और निष्पादित कार्य ((कार्यों) की वास्तविक लागत, अधिकारियों / प्राधिकरणों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था/किया गया था। अपने ग्राहकों से अनुलग्नक-II में प्रारूप के अनुसार ग्राहक की रिपोर्ट, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के संदर्भ में "योग्य कार्य" किए हैं।

6. जांच के बाद, यदि किसी ठेकेदार के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए बैंक द्वारा उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा

7. निविदा दो भागों में ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। भाग-I निविदा में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी।

8. निविदाओं का भाग-I 18 अगस्त, 2026 को 1200 बजे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित रहना चुनते हैं। निविदा का भाग-II बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसे नियत समय में निविदाकर्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा।

9. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले निष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले भाग I में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों की रिपोर्ट से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदा का भाग-II खोला नहीं जाएगा और ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई

कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

10. घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने पात्रता मानदंड की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

हस्ताक्षर और मुहर के साथ निविदाकर्ता का नाम पता:

स्थान:

दिनांक:

खंड डी: निविदा का रूप

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ- 226010

महोदय/महोदया,
ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और अनुसूची की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उस ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को, उसमें तय समय के भीतर, साथ में संलग्न कीमत बोली में उल्लिखित दरों पर और करार, निविदा की सामान्य शर्तों और अनुबंध की शर्तों में बताई गई विनिर्देशों और लिखित निर्देशों के अनुसार पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं। इसमें ऐसी सेवाएं और सामग्री शामिल होंगी जिनके लिए प्रावधान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में, ये कार्य उन शर्तों के अनुसार होंगे जो लागू हो सकती हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्य के विवरण	कार्यालय परिसर, आरबीआई, लखनऊ में बागवानी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एएमसी
(ख)	अनुमानित लागत	लगभग ₹ 49.00 लाख (रुपये उनचास लाख मात्र)
(ग)	बयाना जमा राशि	₹98,000/- (रुपये अट्ठानवे हज़ार मात्र)
(घ)	अनुबंध की वैधता	अनुबंध शुरू में छह महीने (01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए दिया जाएगा और इसे अगले दो वर्षों (एक समय में एक वर्ष) के लिए वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि एजेंसी अनुबंध की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करे।
(ङ)	निष्पादन बैंक गारंटी	बैंक द्वारा निविदा स्वीकार करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्वीकृत अनुबंध मूल्य के 5% की

		निष्पादन बैंक गारंटी। बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) स्वीकार करता है और ईबीजी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और विसंगतियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. हम कार्य सौंपते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में ₹98,000/- (अंठानवे हजार मात्र) की राशि जमा करने का वचन देते हैं, साथ ही बोली भी जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। हम अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

4. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी राशि जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक कि, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या संपूर्ण निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें, तकनीकी विवरण, ईएमडी शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

7. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके साथ जुड़ी 'अनुबंध की शर्तों' (Conditions of Contract) का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं, जहाँ तक वे लागू होती हैं; और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मैं/हम उन शर्तों में बताई गई राशि ज़ब्त करवाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसका भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. **प्री-बिड मीटिंग:**

क) इस दस्तावेज़ के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले निविदाकारों को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में बैंक से संपर्क करना होगा, जो बोली-पूर्व बैठक की तारीख से एक दिन पहले नहीं होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करेगा।

बी) निविदाकर्ताओं के नामित प्रतिनिधियों को 11 अगस्त, 2026 को -1100 बजे एक पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

9. हमारे बैंकर हैं (पूरा पता):

i)	
ii)	

10. हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

i)	
ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत

फर्म के भागीदार का नाम

या

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते:

क्रमांक	**हस्ताक्षर**	**पता**
(i)		
(ii)		

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और CPP पोर्टल पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

खंड ई: करारनामा

यह समझौता लखनऊ में --------- महीने के --------- दिन, वर्ष दो हज़ार छब्बीस को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई में है और जिसका एक कार्यालय लखनऊ में है, और जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ-226001 के क्षेत्रीय निदेशक / अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा रहा है) (जिसे इसके बाद एक पक्ष के रूप में "नियोक्ता" कहा जाएगा) के बीच किया गया है।

और

(----------(प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी), जो कंपनीज़ एक्ट (कंपनी के मामले में) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय-------- पर है (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा)

इसका प्रतिनिधित्व श्री ..... कर रहे हैं, जिन्हें इसके निदेशक मंडल ने इस करार को करने के लिए अधिकृत किया है।

और जबकि नियोक्ता का कार्यालय परिसर, आरबीआई, लखनऊ में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक ठेकेदार को नियुक्त करने का इरादा है, बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के निर्देशन में या उनकी देखरेख में किए जाने वाले कार्यों का विवरण और आवश्यकताएं तैयार करवाई गई हैं।

और जबकि नियोक्ता ने पात्र ठेकेदारों से कार्यालय परिसर, आरबीआई, लखनऊ में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं, जैसा कि निविदा के साथ संलग्न कार्य के दायरे और अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

और चूँकि ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित शर्तें (जिनकी संख्या ------- से -------- तक है), स्पे विनिर्देशों और अनुसूची पर इस करार में शामिल पक्षों ने या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुबंध के नियमों और शर्तों को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) संबंधित दर पर दिखाए गए कार्यों को उसमें निर्धारित राशि के रूप में निर्धारित किया गया है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद संदर्भित "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में)।

ए. <u>अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है</u>

1. यह करार ---------- से लागू होगा और ------ तक लागू रहेगा हालांकि, अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर, एक बार में एक वर्ष, या उसके हिस्से के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो प्रदान की गई सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन और संबंधित फर्म/कंपनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन है।

2. ₹----- शुल्क (रुपये---------- मात्र) इसमें रखरखाव सेवाओं के कुशल प्रतिपादन के लिए उपयोग की जाने वाली जनशक्ति शामिल होगी और बिल/चालान जमा करने के अधीन मासिक आधार पर देय होगी। उस पर भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा इस आशय के विधिवत प्रमाणित होने के बाद किया जाएगा कि सांविधिक कटौतियों के अधीन रखरखाव सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं।

3. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।

4. उपरोक्त शुल्कों में जीएसटी, बीमा शुल्क और कोई अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी भी शामिल है, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में मौजूदा हो या लगाया गया हो।

5. उक्त शर्तों और उसके कार्य के दायरे और इससे जुड़े पत्राचार को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों और पत्राचार का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों और निहित पत्राचार में क्रमशः अपनी ओर से करार का पालन करेंगे

6. ठेकेदार काम के दायरे और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

7. उक्त शर्तों में "क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी" शब्द का अर्थ होगा कि सौंपा गया अधिकारी या उस उद्देश्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित बैंक का कोई अन्य उत्तराधिकारी "क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी" के रूप में कार्य करेगा।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक बिलों के प्रमाणन, भुगतान करने और अनुबंध के विभिन्न नियमों, शर्तों और शर्तों के कार्यान्वयन, कार्य के निष्पादन, कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, प्रगति और अनुबंध को पूरा करने सहित बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से कार्यों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा।

9. यहां उल्लिखित योजनाएं, समझौता और मूल निविदा दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।

10. इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल लखनऊ में किए जाएंगे।

1. वचन

मैं यह वचन देता हूँ कि मुझे सौंपे गए ---------- काम को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा रखे जाने वाले सभी तरह के मज़दूरों को 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948' के तहत तय दर से कम मज़दूरी नहीं दूँगा। साथ ही, मैं 'सी एल आर ए अधिनियम 1970 ' या उसमें हुए किसी भी बदलाव या कानूनी संशोधन के तहत ज़रूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का भी पालन करूँगा। अगर मज़दूरी न देने या ज़रूरी सुविधाएँ न देने की वजह से कानूनी अधिकारियों द्वारा मुख्य नियोक्ता (Principal Employer) के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है, तो मैं मुख्य नियोक्ता को उससे होने वाले नुकसान से बचाऊँगा (indemnified रखूँगा)। मैं इस करार के मकसद से सभी दूसरे कानूनों और नियमों (केंद्र और राज्य दोनों) का पालन करने का भी वचन देता हूँ। इस मामले में ठेकेदार द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

a) इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को लखनऊ में उत्पन्न माना जाएगा और केवल लखनऊ के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
b) . कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। ठेकेदार निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा के लिए भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक के अधिकारी से विशिष्ट लिखित निर्देशों द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है।

12. यौन उत्पीड़न:

a) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगा।बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को बैंक के ध्यान में लाए जाने पर, बैंक आपराधिक कार्यवाही और संविदा/करार की समाप्ति सहित उचित कार्रवाई करेगा।

b) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएग

c) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

अ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

13. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी

विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

14. **आईएस नीति का पालन**: बैंक परिसर/आवासीय कॉलोनियों में तैनात ठेकेदार के ठेकेदार/कर्मचारी बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का पालन करेंगे।

यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक व्यक्ति है	इसके प्रमाण के तौर पर, नियोक्ता और ठेकेदार ने इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों पर ऊपर लिखी तारीख और साल को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।
यदि ठेकेदार एक कंपनी है	इसके प्रमाण के तौर पर, नियोक्ता ने अपने अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, और ठेकेदार ने अपनी कॉमन सील (आधिकारिक मुहर) इस पर लगवाई है और उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है, उस दिन और वर्ष को जो सबसे ऊपर लिखा गया है।

हस्ताक्षर खंड:
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

श्री ..... /(नाम और पदनाम)
.....
..... की उपस्थिति में
(1)

(नाम और पदनाम)
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ (गवाह)

(2)

(नाम और पदनाम)
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ (गवाह)
द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है या एक व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए निम्न की उपस्थिती में :
(1)

पता: ----------
--- (गवाह)

(2)

पता: ----------
--- (गवाह)

नोट:
बैंक ठेकेदार के साथ करार करने से पहले करार की सामग्री को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खंड एफ़: निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों अर्थात भाग- I और भाग- II में प्रस्तुत की जाएगी।

निविदा का भाग - I, जिसका शीर्षक है "भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (**AMC)** हेतु ई-निविदा" है।

1. निम्नलिखित जानकारी के साथ जमा किया जाएगा:
   (i) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकार।
   (ii) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है। हालांकि, यदि निविदाकर्ता कार्य के लिए निविदा देते समय किसी भी शर्त/स्पष्टीकरण/कवरिंग पत्र को शामिल करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना होगा और भाग-I के तहत प्रस्तुत करना होगा:
   (ए) वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।
   (बी) तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।
   (सी) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
   (iii) बैंक द्वारा जारी निविदा दस्तावेज़ (भाग-I) – विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित।
2. केवल वे प्रोपराइटरशिप फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनियां जिनके पास बागवानी और गार्डनिंग कार्यों आदि जैसे संबंधित ट्रेडों में अपेक्षित वर्षों का अनुभव है, वे ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
4. **सूचना एकत्र करना और साइट निरीक्षण:** निविदाकर्ता को अपने लिए और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी जो निविदा के उद्देश्य से और एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और पूर्व अनुमति के साथ काम की जगह (साइट) का निरीक्षण करना होगा और वहाँ की सभी स्थानीय स्थितियों, काम की जगह तक पहुँचने के रास्तों, काम की प्रकृति और उससे जुड़ी अन्य बातों की जानकारी लेनी होगी। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
5. निविदा में उद्धृत दरें सभी स्थानों, भवनों, फर्शों आदि के लिए साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम, उपकरण, मशीनों सहित पूरी वस्तु के लिए होंगी। भाग II में वस्तुओं के लिए दरों को जीएसटी के अलावा उद्धृत किया जाना चाहिए, जिसमें मूल्य बोली के तहत सभी वस्तुओं का कुल योग लागू जीएसटी के अधीन होगा। दरें निश्चित होंगी और न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उन्हें छोड़कर, विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे मालभाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। दरों में सामग्री परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग, माल ढुलाई शुल्क, पारगमन बीमा आदि भी शामिल होंगे।

6. कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने और संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि तथा रखवाल और बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद, भुगतान हर महीने (एनईएफ़टी के माध्यम से बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके) किया जाएगा।
7. **निविदा के भाग-II** में कोई शर्त नहीं होगी**,** बल्कि "कार्यालय परिसर**,** आरबीआई**,** लखनऊ में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध" शीर्षक वाली मात्रा की अनुसूची में केवल मूल्य बोली शामिल होगी।
8. इस भाग में कीमतें केवल <u>भारतीय रुपए में होनी चाहिए</u> और कीमत का पूरा ब्यौरा (भाग-II) के फ़ॉर्मेट के अनुसार दिया जाएगा। इसमें हर काम के लिए निर्धारित कॉलम में अंकों **और प्रतिशत** के रूप में जानकारी देनी होगी। काम के सभी लागू आइटम के लिए कीमतें अंकित करनी होंगी।
9. **दरें**: नियोक्ता निम्नलिखित सामान्य नियमों के अनुसार निविदा में अंकगणितीय या अन्य त्रुटियों को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। गलत उत्पाद विस्तार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले राशि कॉलम में त्रुटि की स्थिति में, इकाई या आइटम दरों को फर्म माना जाएगा और तदनुसार विस्तार में संशोधन किया जाएगा।

   ए) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और प्रतिशत दोनों में उद्धृत किया जाएगा। यदि किसी भी वस्तु के लिए दर का उल्लेख निविदा में नहीं किया गया है, तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर, विनिर्देशों या शर्तों में किसी भी बदलाव पर विशेष रूप से किसी भी तरह की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।

   बी) दरें दृढ़ होंगी और पूरे अनुबंध अथवा उसकी विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेंगी। इन पर एक्सचेंज रेट में बदलाव, लेबर की स्थितियों, फ्रेट चार्ज में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा।

   सी) निविदा में उद्धृत दरों में सभी शुल्क शामिल होंगे। उद्धृत कीमतों में सभी लागू कर (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी आदि और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य प्रचलित कर, रॉयल्टी और शुल्क, यदि लागू हो, शामिल हैं। किसी भी अन्य कर, शुल्क, या लेवी के संबंध में कोई अलग दावा चाहे मौजूदा हो अथवा भविष्य में, नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
10. **एकमुश्त आधार पर कार्य:** ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो**,** यह निविदा पूरी तरह से एकमुश्त आधार पर 'जॉब वर्क' के लिए है। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हर काम के लिए निर्धारित की गई दरें सही**,** व्यावहारिक और अपने आप में पूरी (self-supporting) होनी चाहिए। निविदा के भाग-**II** में दी गई मात्राएँ काम के कुल दायरे का लगभग अंदाज़ा प्रदान करती हैं**,** परंतु इनमें किसी भी हद तक बदलाव हो सकता है अथवा इन्हें हटाया भी जा सकता है**,** जिससे अनुबंध की कुल कीमत बदल सकती है। ऐसे मामलों में दावों पर आनुपातिक आधार पर

विचार किया जाएगा।

11. **निविदा प्रारूप:** निविदाकर्ता दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करेगा। निविदाकर्ता द्वारा किए गए निविदा प्रपत्र के पाठ में कोई भी परिवर्धन / परिवर्तन वैध नहीं होगा और इसे अमान्य और शून्य माना जाएगा।

12. <u>निविदा खोलना:</u>

ए) निविदा का **भाग-I** 18 अगस्त**,** 2026 को दोपहर 12:00 बजे खोला जाएगा (अगर उस दिन छुट्टी होती है**,** तो निविदाएं बैंक के अगले कारोबार दिवस में खोली जाएगी)। यह प्रक्रिया निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपास्थिति की जाएगी**,** जो वहां मौजूद रहना चाहते हों।

बी) निविदाकर्ता द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करना बैंक के लिए बाध्य नहीं है; निविदाकर्ता अपनी सभी शर्तों को वापस ले लेंगे जो बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं।

सी) बैंक निविदा के भाग-I को खोलने और निविदा के भाग-II को प्रस्तुत करने के बाद भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

डी) बोली के भाग II का खोला जाना:

भाग-I (तकनीकी बोली) के सत्यापन के बाद, केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली लगाई जाएगी जो भाग-I में निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और यह अधिसूचना खोली जाएगी। यदि पात्रता मानदंड के समर्थन में प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज वास्तविक नहीं निकलता है, तो ईएमडी स्वतः ही जब्त हो जाएगी, चाहे वह कार्य प्रदान करने से पहले हो अथवा अन्यथा।

13. **अंतिम तिथि: 17** अगस्त**, 2026** को **11:00** बजे के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. **अयोग्यता - गुम और अहस्ताक्षरित दस्तावेज:** निविदा फॉर्म केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज गुम है अथवा अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार अमान्य माना जा सकता है।

15. **स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार:** भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा को प्रस्तुत करने से जुड़े किसी भी खर्च, चार्ज, नुकसान, और आकस्मिक खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने / वापस लेने का अधिकार रखता है।

16. **निविदा के वैधता:** कीमतों के साथ निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदाकर्ता इस अवधि के

दौरान निविदा को निरस्त अथवा वापस नहीं लेगा अथवा उद्धृत दरों में बदलाव नहीं करेगा। तकनीकी बोली खोलने के बाद प्रत्याहरण (withdrawal) के मामले में ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

17. **कार्य का व्यापक दायरा:** कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज में दिए गए अनुसार होगा।

18. **न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया जाना अनिवार्य नहीं है:** बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा को प्रस्तुत करने से जुड़े किसी भी खर्च, चार्ज, नुकसान, और आकस्मिक खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने / वापस लेने का अधिकार रखता है।

19. <u>अनुबंध की अवधि के दौरान बयाना जमा राशि और कार्य निष्पादन गारंटी:</u>

ए) निविदाकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा एनईएफटी के माध्यम से ₹98,000/- (अठानवे हजार रुपए मात्र) की बयाना जमा राशि जमा के रूप में भुगतान करना होगा। खाते का विवरण निमन्वत है:-

Account Name: Reserve Bank of India Lucknow Account type: Current Account

Account No : 186003001

IFSC Code: RBIS0LKPA01, (Please read 0 as zero)

ट्रांज़ैक्शन नंबर के साथ विप्रेषण का साक्ष्य (स्कैन प्रति) संलग्न/अपलोड करना होगा।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है वे पैसे भेजने का साक्ष्य ट्रांजैक्शन नंबर (स्कैन प्रति) के साथ edlucknow@rbi.org.in पर भेजें।

किसी भी परिस्थिति में ईएमडी को बैंक की सावधि जमा या चेक आदि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुबंध प्रदान करने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध की देय पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित बैंक से अनुबंधित मूल्य के 5% की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी)। निविदाकर्ताओं को पारंपरिक कागज-आधारित बैंक गारंटी के बजाय ई-बीजी जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक ईबीजी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और विसंगतियों के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बी) सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बयाना जमा राशि कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के पश्चात कार्य प्रदान करने के एक महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के लिए मान्य होगी।

सी) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे अथवा अन्य राशि को देय बिल

राशि/प्रतिभूति जमा से कटौती की जा सकती है।

20. **भुगतान की शर्तें:** इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा। सफल निविदाकर्ता को अपने स्टाफ के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना होगा वेतन के भुगतान को दर्शाते हुए प्रत्येक महीने बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा। सांविधिक नियमों के अनुसार आवश्यक पीएफ भुगतान आदि सुनिश्चित किया करना होगा। बैंक आवश्यक होने पर इसे सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और तदनुसार, ठेकेदार के पास इसे जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, ईएसआई, यदि लागू हो, उपदान, बोनस, यदि लागू हो और पीएफ बकाया के सहायक दस्तावेज के बिना कोई चालान स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना होगा और उसके बाद बैंक से दावा करना होगा।

21. **कर:** उद्धृत मूल्यों को केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी लागू करों (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर आदि को शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता ऐसे करों और शुल्कों को निविदा में शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर आयकर कटौती की जाएगी और इस संबंध में ठेकेदार को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

22. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा:</u>** ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो ऑपरेशन से उत्पन्न हो सकता है अथवा ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो खुद को या उसके किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, क्या इस तरह की चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी अन्य मामले से उत्पन्न होती है, जो किसी भी तरह से अनुबंध को पूरा करने से जुड़ी हो। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस अनुबंध का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाली सभी क्षति, ठंढ या मौसम की अन्य अशांति से शामिल किया जाएगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और भारत सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी।

ठेकेदार इस खंड में में बताई गई हर तरह की क्षति को ठीक करना होगा, ताकि पूरे अनुबंध कार्यों को हर तरह से पूरा और सही किया जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों को पूरा किया जा सके या उनका समाधान किया जा सके।

तीसरे पक्ष की देयता को कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी ठेकेदार द्वारा मानव जीवन के नुकसान/विकलांगता को कवर करने के लिए ली जाएगी (ऐसे व्यक्ति जो ठेकेदार से संबंधित नहीं हैं)।

यह साइट पर उक्त अनुबंध कार्य के निर्माण/निर्माण/कमीशनिंग के दौरान बैंक सहित अन्य की सामग्री/उपकरण/संपत्तियों को नुकसान के जोखिम को भी कवर करेगा। मानव जीवन के नुकसान या पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मुआवजे के लिए तीसरे पक्ष के दायित्व का मूल्य पूर्ण और आंशिक विकलांगता के लिए आवश्यक सांविधिक मूल्य का होगा और फिर भी इस तरह के मुआवजे को कवर करेगा जो कानून की अदालत द्वारा प्रदान किया जा सकता है। अन्य उपकरणों/संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कवर को बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी में धारक या लाभार्थी नहीं होंगे, न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी में धारक अथवा लाभार्थी नहीं होंगे, न ही उन्हें पॉलिसी में नामित किया जाएगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रमुख धारक होगा। बैंक पॉलिसी असाइन करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है।

ठेकेदार, काम से जुड़े अथवा उसके नतीजतन होने वाली किसी भी बात के लिए आम जनता अथवा किसी तीसरे पक्ष की ओर से नियोक्ता के विरुद्ध किए जा सकने वाले सभी दावों के मामले में नियोक्ता को क्षतिपूरित रखेगा। साथ ही, ठेकेदार अपने खर्च पर, अनुबंध के लगभग पूरा होने तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों से ऐसे जोखिमों के खिलाफ किसी मान्यता प्राप्त कार्यालय से बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा, और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

ठेकेदार, नियोक्ता के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूरित रखेगा ये दावे कामगारों के मुआवज़े से जुड़े कानून अथवा इस अनुबंध के दौरान लागू किसी अन्य कानून अथवा कॉमन लॉ के तहत, ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में हो सकते हैं। साथ ही, ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसे जोखिमों के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार दोनों के संयुक्त नामों से बीमा कराएगा और उसका रखरखाव करेगा।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से निष्पादित किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार होगा, जो लापरवाही या दोषपूर्ण होने से उत्पन्न होने वाले नुकसान के कारण उत्पन्न होता है।

नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी दावे अथवा नुकसान से जुड़ी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क या खर्च की रकम को ठेकेदार को देय (अथवा भविष्य में देय) किसी भी अथवा सभी रकमों में से काट ले; और ऐसा करते समय नियोक्ता के इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठेकेदार को अपने खर्च पर एक अनुमोदित कार्यालय से नियोक्ता और अपने संयुक्त नाम से (जिसमें नियोक्ता का नाम पहले/मुख्य रूप से हो) नीचे बताई गई बीमा पॉलिसी लेनी होगी और उसे ठेकेदार के काम के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के पास जमा करना होगा, और ठेकेदार को यह पॉलिसी अनुबंध के लगभग पूरा होने तक बनाए रखनी होगी।

I. कामगार मुआवजा पॉलिसी

II. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी की सीमा निम्नानुसार है:-

ए) रु. 10,00,000/- प्रति वर्ष

बी) रु. 2,00,000/- प्रति पुनरावृत्ति

III. ठेकेदार समस्त जोखिम पॉलिसी

नोट: ये पॉलिसियां काम पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

23. **अनुबंध करार पर हस्ताक्षर:** निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और इससे पहले निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुबंध और तकनीकी विनिर्देशों की शर्तों को संदर्भित किया गया है, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाद के पत्राचार का आदान-प्रदान, और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ प्रविष्ट किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होगा।

24. निविदाकर्ता को इसके साथ दिए गए अनुबंध की सामान्य शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसका प्रस्ताव पूरी तरह से उन शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेज़ के हर पेज पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ताकि यह पुष्टि हो सके कि संबंधित व्यक्ति/पक्ष ने अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि को अच्छी तरह समझ लिया है।

25. किसी फर्म की ओर से जमा की गई निविदा पर फर्म के सभी पार्टनर या उस पार्टनर के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध करने के लिए फर्म की ओर से अधिकृत हो। अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

26. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो अथवा नहीं।

27. ठेकेदार अनुबंध को किसी और को नहीं सौंपेगा। वह अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता, ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने के लिए लिखित में नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

28. **भाषा:** निविदाकर्ता / बोलीदाता / वेंडर / ठेकेदार को जो दस्तावेज़ जमा करने होंगे**,** वे अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में होने

चाहिए। हालाँकि, अगर उनके अर्थ को समझने में कोई अस्पष्टता होती है, तो अंग्रेज़ी संस्करण को ही सही माना जाएगा।

29. **आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार:** बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर अथवा तो पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

30. **अन्य मामले:** ठेकेदार बैंक के अधिकारियों के विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के अधिकारियों के मतानुसार, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं तो, नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

31. **निविदा दस्तावेज में संशोधन:** ई-निविदा जमा करने की समय-सीमा खत्म होने से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) और **CPP** पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ में बदलाव कर सकता है। जारी किए गए कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे। इसका मकसद संभावित निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा तैयार करते समय सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों पर विचार करने के लिए उचित समय देना होगा। बैंक अपनी विवेकानुसार ई-निविदा जमा करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

32. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:**

ए) किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या इसके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध की समाप्ति या परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। परंतु यदि ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट है, तो वह इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

बी) मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, मत, निर्णय, मांग अथवा नोटिस, अपवाद के मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया गया होगा।

सी) मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा (जैसा भी मामला हो) संदर्भ पर काम शुरू करने की तारीख से एक साल के अंदर (या

पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए अतिरिक्त समय के भीतर) अपना अवॉर्ड देना होगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझा लेते हैं अथवा समझौता करती हैं तथा पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौता अथवा समझौते के संदर्भ में अवार्ड/निर्णय दिया जाएगा।

डी) इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

ई) इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्द्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

एफ़) यह समझौता लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/नियमों और ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम/नियमों और अन्य कानूनों/नियमों/अधिसूचनाओं की आवश्यकताओं का अनुपालन, जैसा लागू हो:

ए) ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970/ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए जिम्मेदार होगा, जहाँ भी आवश्यक हो। ठेकेदार ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971 या उसके किसी भी संशोधन, वैधानिक संशोधन के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा, और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के तहत और उसके द्वारा निर्धारित सभी रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

बी) ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के उपबंधों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अपने कामगारों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी

अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं के तहत अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा।

सी) ठेकेदार ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 / ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950 के साथ-साथ राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी लागू श्रम और सामान्य कानूनों/नियमों और नोटिफ़िकेशन के तहत ज़रूरी सभी दस्तावेज़, रजिस्टर और रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा। साथ ही, उन्हें नियोक्ता अथवा उसके अधिकारियों, लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) के अधिकारी या संबंधित कानूनों/नियमों के तहत ऐसी शक्तियाँ रखने वाले किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा।

डी) ठेकेदार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मज़दूरी की दरों में किए गए किसी भी बदलाव का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। वह तत्काल प्रभाव से अपने कर्मचारियों को उसी के अनुसार मज़दूरी का भुगतान करेगा, इस संबंध में सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखेगा और बिना किसी देरी के ज़रूरी दस्तावेज़ी सक्षयों को करके नियोक्ता को इन बदलावों के संबंध में जानकारी प्रदान करता रहेगा।

ई) ठेकेदार अपने कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी कानूनी नियमों और श्रम कानूनों की शर्तों का पालन करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, P.F. का भुगतान, ESI एक्ट, ग्रेच्युटी का भुगतान, वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट, बोनस आदि, और राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य लागू कानून/नियम/अधिसूचनाएं। सफल बोलीदाता/ठेकेदार बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के बाद ही कार्य आरंभ करेगा।

- श्रम लाइसेंस
- भविष्य निधि कोड नंबर
- ई एस आई कोड नंबर
- पंजीकरण संख्या
- श्रमिकों का रखरखाव रजिस्टर
- बागवानी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन

एफ़) नियोक्ता, किसी भी तरह से, ठेकेदार की ओर से किसी भी कार्य, चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में कोई भी दावा नियोक्ता या उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं होगा।

जी) बैंक में ठेका कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों के लिए उपयुक्त एजेंसी को पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान के प्रेषण का प्रमाण, चयनित ठेकेदार/एजेंसी द्वारा दावा बिल के

साथ हर महीने बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।

34. **बैंक के परिसर में प्रवेश करने के लिए सभी कर्मकारों/पर्यवेक्षकों/अधिकारियों का पुलिस सत्यापन**: बैंक परिसर में ड्यूटी पर लगाने से पहले, एजेंसी को अपने कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त जीवन की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लेनी होगी। साथ ही, इस अनुबंध के अंतर्गत उनकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, नाम, स्थायी पता, संपर्क नंबर और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जैसी जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। केवल सशक्त शरीर, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, साक्षर, अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले, अनुशासित और ईमानदार कर्मियों को तैनात किया जाएगा। बैंक की सेवाओं में लगाए गए सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन हो चुका है और इसका प्रमाणपत्र फर्म के पास मौजूद है - इस संबंध में प्रमाणपत्र अनुबंध शुरू होने के एक महीने के अंदर बैंक में जमा करना होगा। बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय इसकी जांच कर सकता है।

35. इस निविदा दस्तावेज का हिंदी संस्करण केवल संदर्भ के लिए तैयार किया गया है। इस निविदा दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के संदर्भ में किसी भी संदेह/अंतर के मामले में, इस निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर, मुहर और पता:

दिनांक:

सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट-एड का सामान, जिसमें स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग और कॉटन वूल की पर्याप्त मात्रा शामिल हो, ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सके।
2. अगर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय बर्बाद किए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उन सभी कामों के लिए मज़दूरों को उपयुक्त और मज़बूत मचान (scaffolds) उपलब्ध करवाए जाने होंगे।
4. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई से निकली मिट्टी को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से (इनमें से जो भी ज़्यादा हो) के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम होने चाहिए और इनकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होनी चाहिए।
6. किसी इमारत के फ़र्श या काम करने के प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हर खुले हिस्से पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए उचित बाड़ अथवा रेलिंग लगाई जानी चाहिए, जिसकी ऊँचाई कम-से-कम एक मीटर होनी चाहिए।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं भरना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. एस्फाल्ट, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने का काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा वाले जूते और रबर के दस्ताने दिए जाने चाहिए।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. लेड अथवा लेड-युक्त उत्पादों वाले पेंट का इस्तेमाल पेस्ट अथवा रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
11. जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जा रहा हो, या लेड-युक्त पेंट वाली सतह को रगड़कर या खुरचकर साफ किया जा रहा हो, तो काम करने वालों को इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाने चाहिए।
12. काम में इस्तेमाल होने वाली उठाने वाली मशीनें और टैकल (साथ ही उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट) एकदम सही हालत में होने चाहिए।
13. सामान को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या लटकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ और मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

खंड G: भाग I: तकनीकी बोली

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभागा

लखनऊ - 226010

क्र.सं.	विवरण	निविदाकारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारी
1.	संगठन का नाम	
2.	संस्था का प्रकार – (जैसे स्वामित्व/ भागीदारी/ एलएलपी/ प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी) (b) स्थापना की तारीख पंजीकरण की जानकारी (फर्म, कंपनी आदि), कंजीकृत करने वाला प्राधिकारी, दिनांक, संख्या आदि (अकेले मालिक वाली स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)।	
3.	संगठन के स्वामी/भागीदार/निदेशक का नाम और पद	
4.	संस्था का पंजीकृत कार्यालय /व्यवसाय का पता, साथ ही टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ैक्स नंबर और ईमेल। (a) क्या लखनऊ में अपना कार्यालय है? (b) लखनऊ में स्थानीय कार्यालय का पता। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उनका टेलीफ़ोन नंबर।	

5.	काम का अनुभव – पात्रता मानदंड और नियमों व शर्तों की ज़रूरतों के अनुसार काम के अनुभव का विवरण, जिसके साथ कार्य आदेश, दस्तावेज़ और प्रमाण-पत्र भी हों। अगर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी केंद्र या सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इसी तरह की सेवाओं का कोई पिछला अनुभव है, तो उसका विवरण और उससे जुड़े दस्तावेज़ी साक्ष्य भी देने होंगे।	
6.	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक व्यापार पण्यावर्त ₹49 लाख (उनचास लाख रुपये) या उससे अधिक है? (सहायक दस्तावेज़ साथ लगाने होंगे) 31 मार्च 2026 तक।	
7.	तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न: वित्तीय वर्ष 2023 – 2024 वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 वित्तीय वर्ष 2025 – 2026	
8.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लेखा-परीक्षा किए गए तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण की प्रति।	
9.	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 केंद्रीय नियम, 1971 के तहत श्रम विभाग में पंजीकरण कराया गया है? यदि हाँ, तो पंजीकरण की तारीख बताएं। (प्रमाण-पत्र/पंजीकरण की प्रति जमा करनी	

	होगी)।	
10.	बैंकर का नाम और पता। निविदाकार की आर्थिक स्थिति के बारे में बैंकर का प्रमाण-पत्र, इस निविदा दस्तावेज़ के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर के पत्र-शीर्ष पर दिया जाना चाहिए। (**अनुलग्नक– I**)	
11.	वर्तमान ग्राहकों के नाम और पते, पूरी जानकारी के साथ। इस निविदा दस्तावेज़ के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार, शीर्ष तीन वर्तमान ग्राहकों की रिपोर्ट आवश्यक है। (**अनुलग्नक – II)**	
12.	वह बैंक अकाउंट (आईएफ़एससी कोड और खाता संख्या) जिसमें संस्था को भुगतान मिलेगा।	
13.	कोई भी विवाद (कानूनी अधिकारियों के साथ विवाद सहित) जो अभी चल रहा हो और कार्यवाही किस स्तर पर है, इसकी जानकारी।	
14.	बताएं कि क्या कोई कानूनी मामला चल रहा है; जहाँ लागू हो, वहाँ पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति।	
15.	वह बैंक अकाउंट (आईएफ़एससी कोड और खाता संख्या) जिसमें संस्था को भुगतान मिलेगा।	
16.	भविष्य कल्याण निधि खाता संख्या	
17.	ईएसआई नंबर	
18.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के तहत लाइसेंस नंबर	

19	बयाना जमाराशि के तौर पर आरबीआई, लखनऊ के पक्ष में ₹98,000/- (अट्ठानवे हज़ार रुपए मात्र) का एनईएफ़टी/डीडी जमा करें।	
20.	अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों की प्रति।	
21.	ऊपर बताए गए या बैंक द्वारा मांगे गए कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज़।	

नोट: बैंक के पास ऊपर बताई गई किसी भी जानकारी का साक्ष्य या प्रमाणन मांगने का अधिकार है।

हस्ताक्षर:

नाम:

ठेकेदार की मुहर

<u>घोषणा</u>

(इसे कंपनी के पत्र-शीर्ष पर तकनीकी बोली में जमा करना होगा और इस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए।)

1. मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है या अनुबंध नहीं दिया जा सकता है।

2. मैं/हम निविदा दस्तावेज़ों में बैंक द्वारा बताई गई शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांकित _____ 2026

मुहर के पते के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक:

खंड एच

कार्य का विस्तृत दायरा

a. साइट पर कार्य/संचालन को नियंत्रित करने और मजदूरों पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्र ए के लिए "भवन संचालन" के लिए एक अनुभवी माली (कुशल श्रमिक माना जाएगा) होगा। यह कार्य ठेकेदार द्वारा लगाए गए अनुभवी पर्यवेक्षक के सख्त नियंत्रण, दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षण के तहत किया जाएगा। यह पर्यवेक्षक का भी कर्तव्य होगा कि वह बैंक में सक्षम प्राधिकारी से निर्देश ले और दिन-प्रतिदिन के आधार पर उनका पालन करे। ठेकेदार अनुबंध के अनुसार समय पर काम करने के लिए अनुभवी माली (ओडब्ल्यूसी ऑपरेटर सहित) को तैनात करेगा।

कुशल माली के कार्य के दायरे में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे

i. पौधों के स्वास्थ्य, मिट्टी प्रबंधन और मौसमी योजना के तकनीकी पहलू। बागवानी विशेषज्ञ को कम से कम इंटरमीडिएट स्तर पर फूलों की खेती/कृषि/बागवानी/वानिकी/वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन किया हो।

ii. बैंक को मासिक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

iii. सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना होगा: लॉन की देखभाल (हर दो हफ़्ते में), सभी तरह के पेड़ों की छंटाई (हर तीन महीने में), और फूलों की क्यारियों में बदलाव (हर 6 हफ़्ते में)।

iv. मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेना

b. पेड़ों को रोग मुक्त बनाने के लिए कीटनाशकों/कीटनाशकों, खरपतवार नाशक आदि का प्रयोग और छिड़काव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। कीटनाशकों/कीटनाशकों, खरपतवार नाशक आदि की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। कीटनाशक/कीटनाशक मनुष्यों, पालतू जानवरों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने चाहिए। उत्पाद के सुरक्षित भंडारण, अप्रयुक्त उत्पाद और/या खाली कंटेनरों के उचित निपटान के लिए निर्माता के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जहां तक संभव हो जैविक उत्पादों का उपयोग करने पर विचार करें। **सभी छिड़काव गतिविधियों को पीक कीट सीजन (मार्च-जून और सितंबर-नवंबर) के दौरान द्वि-साप्ताहिक निवारक उपचारों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा**

और तारीख, उपयोग किए गए उत्पाद, उपचारित क्षेत्र और सुरक्षा सावधानियों के साथ प्रलेखित किया जाएगा।

c. ठेकेदार घास, फूलों के पौधों और लताओं, पेड़ों और ग्राउंड कवर आदि के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी की गुणवत्ता (भौतिक और रासायनिक) का पता लगाने के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (अपने खर्च पर) से मिट्टी का परीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा। यदि परीक्षणों के बाद किसी विसंगति का पता चलता है और सुधार की आवश्यकता होती है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ठेकेदार द्वारा इसे किया जाएगा। **मृदा परीक्षण त्रैमासिक रूप से किया जाएगा, और ठेकेदार परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर एक सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। मृदा परीक्षण कार्य के लिए फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।** ठेकेदार पूरे वर्ष के लिए एक कैलेंडर प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक महीने के दौरान मद-वार की जाने वाली सभी गतिविधियों को इंगित किया जाएगा। इसमें समतलीकरण और ड्रेसिंग के साथ लॉन की मुंडन, पेड़ों, ग्राउंड कवर और लताओं का रखरखाव, वर्ष भर में मिट्टी की आपूर्ति (न्यूनतम 2 ट्रॉली), गाय के गोबर की खाद (न्यूनतम 4 ट्रॉली) आवश्यकतानुसार और उर्वरक आदि, झाड़ियों, पेड़ों और लताओं को पानी देना, निराई करना, काटना और छंटाई करना, हेजेज, झाड़ियों की छंटाई, बड़े/छोटे पेड़ों की कटाई, क्षतिग्रस्त या मृत पौधों का पुन: रोपण, फूलों की क्यारियों की तैयारी और मौसमी फूल लगाना। मृदा परीक्षण राज्य कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला या समान एजेंसी से किया जाएगा। ठेकेदार परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर एक सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। कुशल माली सभी गतिविधियों के लॉग को बनाए रखेगा: लॉन रखरखाव (द्वि-साप्ताहिक), सभी प्रकार के पेड़ों की छंटाई (त्रैमासिक), और फूलों के बिस्तर का रोटेशन (हर 6 सप्ताह)। ऑडिट उद्देश्यों के लिए सभी गतिविधियों को पहले / बाद में फोटो और टाइमस्टैम्प के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा।

d. नए पौधे - यदि वांछित स्थान/स्थानों पर नए पौधे/पौधे लगाए जाने हैं, तो नए पौधे/पौधे की लागत की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि बैंक के अधिकारी द्वारा पौधों, पौधों आदि की दरों की पूर्व स्वीकृति हो। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें मृत पौधों का प्रतिस्थापन शामिल नहीं है। बागवानी **विशेषज्ञ द्वारा पूर्व स्वास्थ्य निरीक्षण के साथ अनुरोध के 24 घंटे के भीतर पौधे का स्थानांतरण पूरा किया जाएगा। साइट की आवश्यकताओं के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार मिट्टी की वांछित मात्रा आवश्यक क्षेत्र में फैली जाएगी, बैंक द्वारा एसएआर/मौजूदा बाजार दर के अनुसार मिट्टी की लागत का भुगतान किया जा सकता है।**

e. आपातकालीन कार्यों को छोड़कर नियमित आधार पर (सप्ताह में 6 दिन) 8 माली/माली (अर्ध-कुशल श्रेणी) और **1** अच्छी तरह से अनुभवी माली/पर्यवेक्षक **(कुशल श्रेणी) को नियमित आधार पर (सप्ताह में 6 दिन) तैनात करके लॉन, हेजेज, झाड़ियों, फूलों के बिस्तरों, पेड़ों, इनडोर पौधों से युक्त मौजूदा उद्यान और बागवानी कार्यों को बनाए रखना जब** बागवानों (ओडब्ल्यूसी ऑपरेटर सहित) को आपातकाल समाप्त होने तक काम जारी रखना होगा और भुगतान करके भुगतान करना होगा (ख) बैंक के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से आवश्यक अंतराल पर सिंचाई करने, खरपतवारों को हटाने, भूमि को आवश्यक ढलान/स्तरों पर तैयार करने, बगीचे की मिट्टी/खाद के साथ टॉपिंग करने, घास काटने और निपटान द्वारा बागवानी कार्यों के उचित रखरखाव और विकास के लिए ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सप्ताह में दो बार दौरा करना। माली/बागवानों द्वारा ली गई कोई भी छुट्टी या माली/बागवानों की अनुपस्थिति को ठेकेदार द्वारा स्थानापन्न व्यवस्था के रूप में छुट्टियों पर किसी अन्य श्रमिक को प्रतिनियुक्त करके समायोजित किया जाएगा। ओडब्ल्यूसी ऑपरेटर को जैविक अपशिष्टों को अलग करना होता है, मशीन में अपशिष्ट डालना होता है, खाद को बाहर निकालना होता है और सब कुछ उचित स्थानों पर या केयरटेकर/सुरक्षा अधिकारी की सलाह के अनुसार रखना होता है और प्लिंथ क्षेत्र के आसपास और ओडब्ल्यूसी कक्ष के आसपास वनस्पति की अवांछित वृद्धि को भी हटाना होता है। **कुशल माली दैनिक स्थल निरीक्षण करेगा और बैंक अधिकारियों के लिए सुलभ लॉगबुक बनाए रखेगा। इष्टतम पौधों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पीक सीजन (अप्रैल-जून) के दौरान काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। एजेंसी को अपने कर्मचारियों को हफ़्ते में 6 दिन काम पर लगाना होगा; आम तौर पर काम के घंटे 8 होंगे (1 घंटे के लंच ब्रेक को छोड़कर) और समय बैंक द्वारा तय किया जाएगा जिस पर आपसी सहमति बनी हो।**तैनात कर्मचारियों के काम के घंटे बैंक के कार्यवाहक और सुरक्षा अधिकारियों के परामर्श से होना आवश्यक है और एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हर समय मौजूद रहें।

f. बागवानों को नियमित आधार पर दैनिक रूप से पी एंड एस सेल के केयरटेकर/अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए। कुशल माली (पर्यवेक्षक) **किए गए कार्य की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और बैंक के बागवानी प्रभारी/सुरक्षा अधिकारी के साथ मासिक समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे।**

g. उद्धृत दरों में मजदूरी, परिवहन शुल्क, बीओक्यू के अनुसार पानी देने के उद्देश्य से रबर/प्लास्टिक पाइप, मिट्टी, खाद आदि सहित काम के लिए आवश्यक सभी उपकरण और उपकरण वाली किट प्रदान करना और उसका रखरखाव, कोई भी आकस्मिक शुल्क, बोनस, ईपीएफ, ईएसआई, ठेकेदार

का लाभ और ओवरहेड्स, वैधानिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले सभी कर शामिल होंगे।**ठेकेदार बैंक को फूलों/सजावटी पौधों के साथ 1500 फूलों के गमलों की आपूर्ति करेगा और पूरे अनुबंध अवधि के दौरान इन फूलों के पौधों का स्टॉक बनाए रखेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्षतिग्रस्त फ्लावरपॉट्स और पौधों को एक सप्ताह के भीतर बदल दिया जाए। ठेकेदार भवन परिसर में फूलों के गमलों को सप्ताह में दो बार बदलने और क्षतिग्रस्त फूलों के गमलों को तत्काल बदलने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर गमलों के साथ 200 मौसमी/सभी मौसम में फूलों का अतिरिक्त स्टॉक बनाए रखेगा।**

h. पौधों (इनडोर और आउटडोर) को सूखने से बचाने के लिए वांछित अंतराल पर पानी देना। पानी बैंक द्वारा मौजूदा निर्धारित बिंदुओं पर उपलब्ध कराया जाएगा। पानी देने का कार्यक्रम मौसमी रूप से समायोजित किया जाएगा: गर्मियों के दौरान दैनिक (मार्च-जून), मानसून के दौरान हर दूसरे दिन (जुलाई-अक्टूबर), और सर्दियों (नवंबर-फरवरी) के दौरान हर 3 दिन। **वर्टिकल गार्डन के रखरखाव के लिए बैंक की मंजूरी से स्मार्ट सिंचाई टाइमर लगाए जा सकते हैं।**

i. फ्लावरपॉट और अन्य पौधों, गमलों, बगीचों की सफाई और परिसर से सूखी पत्तियों को बाहर रखने का काम ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त राशि लिए बिना सप्ताह में दो बार किया जाएगा।**सूखी पत्ती को हटाने का काम प्रतिदिन किया जाएगा, जिसमें सभी बगीचे के बिस्तरों और गमले की सतहों की द्वि-साप्ताहिक गहरी सफाई होगी। वर्टिकल गार्डन का रखरखाव साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। पुराने मृत पौधों/गमलों को त्रैमासिक आधार पर बदला जाएगा।**

j. घास और अन्य पौधों, गमलों, उद्यानों का पुन: रोपण कार्य ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त राशि लिए बिना नियमित आधार पर किया जाएगा। पुन**: रोपण क्षतिग्रस्त/मृत पौधों की पहचान करने के 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें कुशल माली द्वारा अनुमोदित प्रतिस्थापन प्रजातियां होंगी। पेड़ों/शाखाओं की खतरनाक शाखाओं को हटाने का काम पहचान के 72 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा। रोपण से 30 दिन पहले समय सीमा जमा करना होगा, जिसमें प्लांट सोर्सिंग विवरण, अपेक्षित विकास समयसीमा और रखरखाव प्रोटोकॉल शामिल होंगे।**

k. सभी उद्यान उपकरण जैसे लॉन मूवर्स, घास कटर, उपकरण, पानी के लिए नली पाइप, बीओक्यू के अनुसार पौधों के लिए समर्थन प्रदान करना। **खाद के उपयोग को बढ़ते मौसमों के दौरान मासिक आधार पर और सुप्त अवधि के दौरान द्वि-मासिक आधार पर शामिल किया जा सकता है। जैविक खाद का उपयोग कुल खाद का कम से कम 70% होना चाहिए।**

l. पूरे साल मौसम के हिसाब से बैंकों की ज़रूरत के अनुसार फूलों की क्यारियां लगाना और उनकी देखभाल करना, साथ ही शहरी खेती (अर्बन फार्मिंग) करना। **शहरी खेती की गतिविधियों को बढ़ाकर इसमें साल में 3 बार मौसमी फूलों की फसल उगाना शामिल किया जाएगा; फसल की उपज बैंक के कर्मचारियों के साथ बांटी जाएगी या स्थानीय कम्युनिटी सेंटरों को दान कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को पौधों की किस्मों, तारीखों, उपज और देखभाल से जुड़ी जानकारी का एक रिकॉर्ड (लेजर) रखना होगा। पौधों की सेहत की मासिक रिपोर्ट बैंक को सौंपी जा सकती है।**

m. ओडब्ल्यूसी में उपयोग की जाने वाली सामग्री के अलावा पेड़ों से गिरने या कटे हुए सभी मलबे, पत्तियों, शाखाओं आदि को हटाने के लिए महीने में दो बार बैंक के परिसर से बाहर निकाला जाएगा। **मानसून और पतझड़ (जुलाई-नवंबर) के दौरान मलबा हटाने का काम हर हफ़्ते किया जाएगा और बाकी महीनों में हर दो हफ़्ते में। हटाई गई सभी चीज़ों का वज़न किया जाएगा और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। मलबा हटाने के काम में मानसून के मौसम में गार्डन एरिया की ड्रेनेज की सफ़ाई भी शामिल होगी। मज़बूती के लिए बांस के स्ट्रक्चर या बेलों को सहारा देने की व्यवस्था की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बांस की इन्वेंट्री और बेल वाले पौधों की ग्रोथ का रिकॉर्ड रखेगा।**

n. छह महीने में एक बार लगभग 1.00 मीटर ऊंचाई तक के पेड़ों के तने को लाल/सफेद/रंग से धोना और तीन महीने में एक बार फूलों के गमलों को स्नोसेम आदि जैसे अनुमोदित पेंट से पेंट करना। **ट्री स्टेम पेंटिंग को त्रैमासिक तक बढ़ाया जाएगा और उच्च दृश्यता वाले क्षेत्रों के लिए मासिक रूप से फ्लावरपॉट पेंटिंग की जाएगी।**

o. बैंक पी एंड एसओ अधिकारियों के निर्देशानुसार, ज़रूरत पड़ने पर बैंक बिल्डिंग के भीतर या ऑफिस की किसी भी मंज़िल पर गमले वाले पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या बदलना।

p. पूरे कॉम्प्लेक्स में पेड़ों और पौधों की शाखाओं की छंटाई/कटाई ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के निर्देशानुसार की जाएगी। साथ ही, आम जनता को कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कटे हुए हिस्सों को सही तरीके से निपटाने के लिए परिसर से बाहर ले जाया जाएगा।

q. छंटाई का काम हर तीन महीने में किया जाएगा और इसके लिए बैंक को पहले से सूचना दी जाएगी। जब तक कोई और निर्देश न हो, छंटाई से निकले सभी हिस्सों को खाद बनाने के लिए साइट पर ही छोटे टुकड़ों (चिप) में बदला जाएगा। वेंडर छंटाई/कटाई से निकले सभी हिस्सों को उसी दिन हटा देगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार एक हफ़्ते के भीतर उनका निपटान

करेगा। बड़े पेड़ों की छंटाई के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, वेंडर बागवानी करने वाले स्टाफ़ को सभी ज़रूरी अतिरिक्त उपकरण जैसे सीढ़ी, हाइड्रोलिक/मैकेनिकल लिफ़्ट और सेफ़्टी हार्नेस उपलब्ध कराएगा।

r. पूरे परिसर से मृत पेड़ों, पौधों, अवांछित झाड़ियों को उखाड़कर काटना और उचित निपटान के लिए उन्हें परिसर के बाहर ले जाना। पहचान के **72 घंटों के भीतर निष्कासन पूरा किया जाएगा, प्रतिस्थापन रोपण 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित किया जाएगा।**

s. ठेकेदार को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक वृक्षारोपण से पहले मौसमी पौधों और शहरी कृषि संयंत्रों की सूची बैंक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनी होगी**।**

t. ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित के अनुसार और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किए जाने वाले उपकरण/मशीनें आवश्यक हैं: (सूची में इंगित किया गया है)

- **क) घास काटने वाले: सं. 4**
- **बी) पानी के लिए मैं पाइप: 800 मीटर**
- **c) हुकुम (phawra): सं. 8**
- **d) कुडाल: सं. 4**
- **e) खुरपी: सं.8 नग**
- **च) पॉइंटेड खुरपी: 8**
- **छ) आवश्यकता के अनुसार झल्ली/जल छिड़काव/बाल्टी (न्यूनतम 2 अतिरिक्त स्प्रिंकलर)**
- **ज) अन्य उपकरण: नियमित बागवानी कार्यों के लिए आवश्यक कोई अन्य अन्य हाथ से इस्तेमाल होने वाले औज़ार (जैसे 2 प्रूनर, 1 चेन-सॉ, 1 लीफ ब्लोअर)**

उपकरण इन्वेंट्री सूची को मासिक आधार पर अपडेट किया जाएगा और इन्वेंट्री की सूची भौतिक निरीक्षण के लिए बैंक केयरटेकर/प्रभारी बागवानी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जनशक्ति का विवरण - ठेकेदार बैंक के अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों और ऑफिस केयरटेकर से निर्देश लेने और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी प्रॉपर्टी/कामों की जिम्मेदारी संभालने के लिए, साइट पर एक सुपरवाइज़र (स्किल्ड कैटेगरी) तैनात करना होगा, जिसके पास चालू मोबाइल फ़ोन हो। इसके अलावा, बैंक की हर प्रॉपर्टी के लिए कम से कम मैनपावर की तैनाती इस प्रकार है-

(क) माली/माली (सप्ताह में 06 दिन) - 08 संख्या (अर्ध-कुशल)

(ख) कुशल माली/पर्यवेक्षक (सप्ताह में 6 दिन) -01 संख्या (सप्ताह में 06 दिन) (कुशल)

u. भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। किसी विशेष अवधि/माह के दौरान उद्यान का रखरखाव बैंक द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बैंक ठेकेदार के मासिक बिल से ऐसी राशि काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है जैसा कि वह उचित समझे। यदि बिल सभी प्रकार से क्रम में पाया जाता है, तो आम तौर पर नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर बिल प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मासिक बिलों का भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। **मासिक भुगतान का 10% कटौती निर्दिष्ट कार्य या जनशक्ति आवश्यकताओं के लिए समयसीमा को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए लागू की जा सकती है।**

v. ठेकेदार द्वि-वार्षिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को मौसमी कपड़े प्रदान करेगा। माली की पोशाक में गर्मी के मौसम में गर्मी से सुरक्षा के लिए मैचिंग जूते के साथ फुल स्लीव कॉटन डांगरी/कॉटन टी शर्ट और ट्रैक पैंट और गर्मी से सुरक्षा के लिए जंगल टोपी और ऊनी टी-शर्ट, ट्रैक पैंट शामिल होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में मैचिंग कैप और सेफ्टी शूज़ के साथ ऊनी जैकेट। वह बारिश के मौसम में सभी श्रमिकों को रेनकोट/छाता जारी करेंगे।

w. ठेकेदार 1 जनवरी (नव वर्ष), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), बसंत पंचमी, 1 अप्रैल (आरबीआई वर्षगांठ), 05 जून (पर्यावरण दिवस), वन महोत्सव (01-07 जुलाई) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और बैंक द्वारा निर्धारित अन्य आधिकारिक दिनों के विशेष अवसरों पर कार्यालय परिसर में अतिरिक्त फूलों के गमलों और सजावटी पौधों की व्यवस्था करेगा। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अनुबंध के नवीनीकरण पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठेकेदार बिना किसी लागत के परिसर के अंदर बागवानी सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन / मिनी ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए एक मोटर चालित प्रणाली की व्यवस्था करेगा।

x. फर्म किसी भी विद्युत दोष, दुर्घटनाओं और विद्युत प्रतिष्ठानों को नुकसान को रोकने के लिए ओवरहेड विद्युत लाइनों और किसी भी केबल से सुरक्षित निकासी बनाए रखने के लिए, जब भी आवश्यक हो या बैंक द्वारा निर्देशित किया गया हो, पेड़ों और वनस्पतियों की समय पर छंटाई/कतरन/लूपिंग सुनिश्चित करेगी।

y. फर्म बैंक के परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जब भी आवश्यक हो या बैंक द्वारा निर्देशित किया गया हो, बाहरी रोशनी और फिक्स्चर से रोशनी में बाधा डालने वाले पेड़ों और वनस्पतियों की समय पर ट्रिमिंग/कटाई/लूपिंग सुनिश्चित करेगी।

एएमसी के लिए प्रस्तावित मुख्य कर्मी

(बोली लगाने वाले को इसे भरना है और भाग-I के साथ जमा करना है)

क्रम सं	पदनाम	कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या	प्रस्तावित कर्मियों की संख्या	योग्यता/संबंधित अनुभव के कुल वर्ष	अनुलग्नक में अतिरिक्त विवरण (यदि कोई हो)
1					
2					
3					

नोट :

ठेकेदार का नाम और पता: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :

स्थान :

खंड I: अनुबंध के नियम और शर्तें

1. **करार :** बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार, चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और इस प्रकार निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, इस तरह के औपचारिक करार को बाद में चौदह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित किया जाता है या नहीं। जब तक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक बैंक द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। करार को दो प्रतियों (डुप्लिकेट) में निष्पादित किया जाएगा। एक प्रति नियोक्ता की अभिरक्षा में रहेगी और प्रति का दूसरा सेट ठेकेदार की अभिरक्षा में रहेगा। करार आवश्यक स्टाम्प पेपर (उत्तर प्रदेश राज्य में लागू स्टांप शुल्क के बराबर मूल्य) पर किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टांप शुल्क की लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

2. **अनुबंध और समीक्षा की अवधि:** अनुबंध शुरू में छह महीने (01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए दिया जाएगा। यदि एजेंसी अनुबंध की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करती है, तो इसे अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। ठेकेदार के काम की हर तिमाही समीक्षा की जाएगी। ठेकेदार को आपसी शर्तों पर एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह दो साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर पहले तीन महीनों में काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध खत्म किया जा सकता है।

3. **कार्य की प्रकृति:** ठेकेदार द्वारा श्रमिकों/श्रमिकों/कर्मचारियों के नियोजन के माध्यम से किया जाने वाला कार्य/कार्य स्थायी प्रकृति का नहीं होता है।

4. **अनुबंध की सबलेटिंग:** ठेकेदार अनुबंध के किसी भी हिस्से को किसी और को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा। ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सभी व्यवस्था करेगा; नियोक्ता पुरुषों/सामग्री के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा

प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी।

5. **बयाना जमा राशि :** सफल निविदाकार/बोली लगानेवाला का ईएमडी निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा और इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा।

6. **निष्पादन बैंक गारंटी :** ठेकेदार को निविदा मिलने के 14 दिनों के भीतर, निविदा दस्तावेज़ के **अनुलग्नक III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में किसी अनुसूचित बैंक से जारी अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी (जिसे ठेकेदार को अपने खर्च पर बनवाना होगा) के रूप में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) देनी होगी। ठेकेदार पीबीजी के बदले, पीबीजी के बराबर राशि (प्रतिभूति जमा) ऑनलाइन मोड (एनईएफ़टी/ आरटीजीएस) से भी जमा कर सकता है।

उपर्युक्त निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति जमा काम के पूरी तरह से और संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक मान्य रहेगी। अगर काम पूरा होने की समय-सीमा बढ़ाई जाती है या नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार को इसे भी नवीनीकृत करवाना होगा। अगर ठेकेदार उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो बैंक अपने अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर गारंटी/प्रतिभूति को लागू कर सकता है। निविदाकारों को पारंपरिक कागज़ी बैंक गारंटी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जमा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक के पास ई-बीजी की प्रामाणिकता की जाँच करने और कोई विसंगति मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। करार की अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा की राशि पर बोली लगाने वाले को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

7. **ईएमडी/निष्पादन बैंक गारंटी से कटौती:**

इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार को बैंक को जो भी क्षतिपूर्ति या अन्य रकम देनी है, उसे देय राशि या निष्पादन बैंक गारंटी से काटा जा सकता है (अगर रकम इतनी हो)। ठेकेदार को कटौती के दस दिनों के भीतर काटी गई रकम की भरपाई करनी होगी, सिवाय उस स्थिति के जब वह जमा राशि किसी और वजह से देय हो गई हो।

8. काम करने का समय:

a) एजेंसी को अपने स्टाफ़ को सप्ताह में 6 दिन और आम तौर पर 8 घंटे काम पर लगाना होगा। काम का समय बैंक द्वारा तय किया जाएगा और इस पर आपसी सहमति होगी (इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक शामिल नहीं है) । हालाँकि, इमरजेंसी के कामों के लिए, स्टाफ़ को इमरजेंसी का काम पूरा होने तक काम करते रहना होगा, जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल हैं।

b) तैनात स्टाफ़ के काम के घंटे बैंक के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारियों से सलाह करके तय किए जाएँगे और एजेंसी को यह पक्का करना होगा कि हर समय स्टाफ़ के सभी सदस्य मौजूद रहें।

c) सुपरवाइज़र माली स्टाफ़ द्वारा किए जा रहे काम की लगातार रोज़ाना जाँच भी करेगा। लॉगबुक को अगले दिन बैंक के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वे इसकी जाँच और पुष्टि करेंगे।

9. **<u>सामान्य नियम और शर्तें:</u>**

एजेंसी को कम से कम ये कर्मचारी तैनात करने होंगे:

(a) माली/बाग़बान (हफ़्ते में 6 दिन) - 8 लोग (अर्ध-कुशल)

(b) सुपरवाइज़र (हफ़्ते में 6 दिन) - 1 व्यक्ति (कुशल)

(i) एजेंसी अपने कर्मचारियों को तभी तैनात करेगी जब वह बैंक से अनुमति ले लेगी; इसके लिए उन्हें कर्मचारियों का विवरण और उचित पुलिस सत्यापन जमा करना होगा। स्टाफ़ बदलने से पहले, एजेंसी को बैंक को पहले से जानकारी देनी होगी और ऐसा करने के लिए बैंक से अनुमति लेनी होगी।

(ii) एजेंसी को यह पक्का करना चाहिए कि तैनात किए गए कर्मचारी मेडिकल रूप से फिट हों और उन्हें कोई संक्रामक बीमारी न हो।

(iii) एजेंसी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह रविवार और छुट्टियों के अलावा सभी दिनों में, और छुट्टियों के दिन खास तौर पर निर्देश मिलने पर, कर्मचारियों की ज़रूरी न्यूनतम संख्या तैनात करे। एजेंसी ऐसे प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को काम पर रखेगी जो इस काम के लिए ठीक से प्रशिक्षित हों और अपनी ड्यूटी करने के लिए फिट और सक्षम हों।

यह पक्का करें कि उनके कर्मचारी, कॉलोनी के परिसर में रहते हुए या अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा तय किए गए साफ़-सफ़ाई, शिष्टाचार, सुरक्षा, बचाव, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के नियमों का पालन करें। ठेकेदार और/या उनके कर्मचारियों ने इन नियमों का पालन किया है या नहीं, इस बारे में फ़ैसला लेने का एकमात्र अधिकार बैंक का होगा।

(iv) अगर अनुबंध के तहत तैनात एजेंसी का कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है, तो एजेंसी को तुरंत उसकी जगह दूसरा कर्मचारी (स्थानापन्न) उपलब्ध कराना होगा। बिना स्थानापन्न दिए अनुपस्थित रहने की स्थिति में, बैंक को अनुपस्थित कर्मचारी की दैनिक मजदूरी के बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार है और यह राशि एजेंसी के बिलों से काट ली जाएगी।

(v) अगर यह देखा जाता है कि एजेंसी का कर्मचारी बार-बार काम पर देर से आता है या अपना काम पूरा किए बिना और तय समय से पहले ही परिसर से चला जाता है, तो बैंक उचित समझे जाने पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(vi) अगर एजेंसी के कर्मचारी के दुर्व्यवहार/गलत व्यवहार या काम की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो बैंक द्वारा सूचित किए जाने के तुरंत बाद उस कर्मचारी को साइट से हटाना एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।

(vii) एजेंसी द्वारा नियुक्त हर कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान कंपनी का आई-कार्ड, फर्म के नाम और लोगो वाली यूनिफॉर्म, जूते/सैंडल, रेनकोट और अपना नाम लिखा हुआ बैज पहनना होगा। इस संबंध में बैंक किसी भी अलग दावे पर विचार नहीं करेगा।

(viii) बैंक को एजेंसी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए कहने का अधिकार है, जो अपनी ड्यूटी ठीक से और सही तरीके से नहीं निभा रहा हो।

(ix) एजेंसी किसी भी तरह से किसी सब-एजेंसी को काम पर नहीं रखेगी और न ही कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करेगी।

(x) सुपरवाइज़र एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे काम की लगातार जाँच भी करेगा। उसे इसका एक लॉग बुक भी बनाए रखना चाहिए। यह लॉग बुक अगले दिन बैंक के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत की जाएगी और वे इसकी जाँच-पड़ताल और पुष्टि करेंगे।

(xi) बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में ड्यूटी पर लगाने से पहले, एजेंसी को अपने सभी कर्मचारियों के चरित्र और पृष्ठभूमि की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लेनी होगी। साथ ही, इस अनुबंध के तहत उनकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, नाम, स्थायी पता, संपर्क नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसी जानकारी भी देनी होगी। अनुबंध शुरू होने के एक महीने के अंदर बैंक को यह प्रमाण-पत्र जमा करना होगा कि बैंक की सेवाओं में लगाए गए सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन हो चुका है और यह अभिलेख फ़र्म के पास उपलब्ध है। अनुबंध की अवधि के दौरान बैंक कभी भी इन जानकारियों की जांच कर सकता है।

(xii) एजेंसी को यह पक्का करना होगा कि तैनात किए गए सभी लोगों का बीमा हो; इसके लिए बैंक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा। इस अनुबंध के तहत काम के दौरान लोगों को होने वाले किसी भी नुकसान या चोट के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मौत से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियाँ एजेंसी की होंगी।

(xiii) एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक द्वारा उन्हें सौंपी गई ज़िम्मेदारियों के दायरे में आने वाली चीज़ों को नुकसान, बर्बादी या गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए उचित और ज़रूरी सावधानी बरतेंगे। वे अपनी ज़िम्मेदारी के दायरे में आने वाली बैंक की किसी भी चीज़ को जानबूझकर किसी व्यक्ति या कंपनी को उधार नहीं देंगे।

(xiv) एजेंसी आरबीआई द्वारा उसे दी गई सभी संपत्तियों और उपकरणों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार होगी। एजेंसी के लोगों द्वारा बैंक को किसी भी तरह से पहुँचाए गए नुकसान या हानि की भरपाई एजेंसी से की जाएगी।

(xv) अगर एजेंसी की किसी चूक की वजह से बैंक को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई एजेंसी से नुकसान की रकम तक की जाएगी। इस मामले में आरबीआई लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और एजेंसी को उसे मानना होगा।

(xvi) किसी भी कानूनी मामले या एजेंसी के कर्मचारियों के किसी काम से पैदा होने वाली कोई भी ज़िम्मेदारी (जिसमें सभी खर्च और जुर्माना शामिल है) सीधे एजेंसी को ही उठानी होगी। ज़रूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों को अदालत में पेश होना होगा।

(xvii) अगर लेबर अधिकारियों के निर्देशों या लेबर कानूनों या नियमों के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक को कोई राशि चुकाने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी राशि एजेंसी द्वारा बैंक को पंद्रह दिनों के भीतर देय मानी जाएगी। बैंक एजेंसी को देय राशि में से कटौती करके एजेंसी से यह राशि वसूलने का हकदार होगा।

(xviii) एजेंसी द्वारा अनुबंध के तहत दिए गए कामों/सेवाओं से जुड़े या उनके कारण होने वाले सभी दावों, नुकसानों, हानियों और खर्चों के लिए वेंडर बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा।

(xix) अनुबंध खत्म होने के बाद, बैंक एजेंसी के किसी भी कर्मचारी को नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। बैंक एजेंसी के किसी भी कर्मचारी के साथ कर्मचारी-नियोक्ता का कोई संबंध नहीं मानता है।

(xx) अगर भुगतान के बाद लेखा-परीक्षा में एजेंसी द्वारा किए गए या निविदा के तहत एजेंसी द्वारा किए गए बताए गए किसी काम के लिए ज़्यादा भुगतान का पता चलता है, तो बैंक उसे एजेंसी से वसूल करेगा।

(xxi) अगर करार पर साइन होने के बाद अनुबंध की किसी शर्त में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, तो वह बदलाव लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर बैंक के अधिकृत अधिकारी और एजेंसी या उसके

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। ऐसे बदलाव तब तक लागू नहीं होंगे जब तक दोनों पक्षों के उन पर हस्ताक्षर न हो जाएं।

(xxii) एजेंसी एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें कर्मचारियों की रोज़ाना तैनाती का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। बिल बनाते समय, हर महीने तैनात कर्मचारियों की तैनाती का विवरण (अगर शिफ्ट के हिसाब से तैनाती हो तो वह भी) दिखाना होगा, जिस पर केयरटेकर के हस्ताक्षर होने चाहिए। एजेंसी को लागू सभी सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार वेतन भुगतान के संबंध में एक वचन-पत्र देना होगा।

(xxiii) बैंक, एजेंसी को बैंक परिसर में किसी भी प्रकार की सुविधा या जगह उपलब्ध नहीं कराएगा।

(xxiv) किसी भी कारण से अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, एजेंसी या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों या उसके एजेंटों को बैंक से क्षतिपूर्ति, हर्जाने या किसी अन्य रूप में कोई भी राशि पाने का अधिकार नहीं होगा।

(xxv) ठेकेदार को यह पक्का करना होगा कि वह अपने यहाँ काम करने वाले मज़दूरों को न्यूनतम तय मज़दूरी दे और बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में वेज स्लिप पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले। मज़दूरों को हर बार भुगतान करने के बाद रजिस्टर बैंक में जमा करना होगा। इसके अलावा, उन्हें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 के तहत अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, फर्स्ट एड सुविधा जैसी ज़रूरी सुविधाएँ देनी होंगी। काम मिलने से पहले, एजेंसी/ठेकेदार को सही कीमत वाले गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक वचन-पत्र देना होगा। इसमें उन्हें यह वादा करना होगा कि वे उस खास काम को पूरा करने के लिए रखे गए सभी तरह के मज़दूरों को सीएलआरए एक्ट, 1970 के तहत तय मिनिमम वेज से कम मज़दूरी नहीं देंगे। साथ ही, अगर वे ऐसी मज़दूरी और ज़रूरी सुविधाएँ देने में नाकाम रहते हैं और इसके लिए कानूनी अधिकारियों की तरफ से मुख्य नियोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो वे मुख्य नियोक्ता को उस कार्रवाई से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करेंगे।

(xxvi) ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 या लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत ज़रूरी लाइसेंस लेना होगा; ऐसा न करने पर, इससे जुड़ी किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के लिए वही अकेला ज़िम्मेदार होगा। बैंक, ठेकेदार के किसी भी काम या चूक के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों के प्रति किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं होगा।

(xxvii) ठेकेदार बैंक को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 , बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी अन्य

नियम/विनियम/कानून/अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन से होने वाले सभी नुकसान, दावों, हर्जाने या मुआवज़े से सुरक्षित रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में किसी भी दायित्व के लिए केवल ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।

(xxviii) बैंक चाहता है कि एजेंसी अपने कर्मचारियों को हर महीने की कम से कम 10 तारीख तक एनईएफ़टी/आरटीजीएस /चेक के ज़रिए वेतन का भुगतान करे और इसके लिए कर्मचारियों का बैंक खाता होना चाहिए।

(xxix) एजेंसी को दूसरे महीने से ही, अगले महीने के इनवॉइस के साथ हर महीने एक प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। इस प्रमाण-पत्र में यह बताना होगा कि बैंक में तैनात उसके सभी कर्मचारियों को सरकारी नियमों और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रमाण-पत्र के बिना बिल का पेमेंट प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

(xxx) बैंक के पास यह अधिकार है कि वह कॉन्ट्रैक्टर से हर महीने हर कर्मचारी के पीएफ़/ईएसआई /वेतन/ग्रेच्युटी/बोनस (जैसा भी लागू हो) या किसी अन्य मद में कर्मचारी के योगदान को जमा करने का सबूत माँगे।

(xxxi) एजेंसी को किए गए काम/दी गई सेवा के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।:

(a) जिस महीने के लिए एजेंसी ने बिल भेजा है, उस महीने के लिए अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार काम संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया है।

(b) जिस महीने के लिए एजेंसी को भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है, उस महीने की मज़दूरी का भुगतान एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को पहले ही किया जा चुका है।

(c) बैंक कभी भी इन भुगतानों के लिखित रिकॉर्ड की जाँच के लिए माँग सकता है।

(xxxii) बैंक, आकार अधिनियम की धारा 194-C के तहत एजेंसी को दी जाने वाली रकम में शामिल आय पर लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करेगा। अगर ज़रूरी हुआ, तो लागू नियमों के अनुसार अन्य कानूनी कटौतियां भी की जाएंगी।

(xxxiii) ठेकेदार को इन कानूनों और नियमों का पालन करना होगा: कारखाना अधिनियम, 1948; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970; बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986;

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय अवकाश) अधिनियम, 1963 और इनके तहत बने नियम, या समय-समय पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले कोई अन्य कानून और नियम। ठेकेदार को रजिस्टर और रिकॉर्ड दिखाने होंगे और कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए बैंक द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

(xxxiv) एजेंसी इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगी। एजेंसी हर वर्ष रिटर्न फाइल करने के साक्ष्य के तौर पर प्राप्ति सूचना की प्रति जमा करेगी और इससे जुड़े कर, ब्याज, दंड आदि की किसी भी देनदारी से नियोक्ता को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी।

10. **<u>ठेकेदार को भुगतान</u>**:

a. संतोषजनक सेवा के आधार पर भुगतान मासिक रूप से वास्तविक या आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

b. जब बैंक के किसी भी हिस्से में कोई काम किया जाता है, तो बिलों के भुगतान के लिए बैंक के केयरटेकर और सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर वाला पूरा विवरण देने वाला अभिलेख आवश्यक है।

c. संबंधित केयरटेकर, शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित बिल संपदा विभाग को सौंपेंगे, जो भुगतान से पहले इसकी अंतिम जांच और प्रमाणन करेगा। भुगतान ई-मोड (एनईएफ़टी) के माध्यम से किया जाएगा।

एस्केलेशन क्लॉज़: जब भी श्रम आयुक्त या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम वेतन, जीएसटी या किसी अन्य कानूनी शुल्क/कर आदि की दरों में बदलाव किया जाएगा, तो कानूनी शुल्क भी उसी अनुपात में बदल दिए जाएंगे; बदली हुई ये दरें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।

11. **<u>ठेकेदार द्वारा अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान</u>**:

a. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह सभी कर्मचारियों (संविदा कर्मचारियों सहित) को वेतन का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से ही करे।

b. मुख्य नियोक्ता होने के नाते, बैंक अपनी इच्छा से निविदाकार से इस शर्त का पालन करने का साक्ष्य मांग सकता है।

c. ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रत्येक मजदूर द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित वेतन पर्ची की छायाप्रति बैंक में जमा करनी होगी।

d. ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सांविधिक दायित्वों (जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि) के प्रावधानों का पालन करना होगा और इनके भुगतान का साक्ष्य बैंक में जमा करना होगा। (इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी प्रीमियम और वेतन के भुगतान से संबंधित बैंक खाते का विवरण शामिल होना चाहिए)। यदि मजदूरों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों पर काम पर लगाया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और इसका खर्च ठेकेदार ही उठाएगा। कीमत बोली जमा करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है।

e. ठेकेदार को 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए अपने खर्च पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा देनी होगी।

12. **परिनिर्धारित हर्जाना** इस तरह से लागू किया जाएगा **:** यदि प्रतिदिन के आधार पर तय समय के लिए ज़रूरी संख्या में सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो बैंक उपलब्ध कराई गई सेवाओं की संख्या/पूरे किए गए काम में कमी और/या सेवा की अवधि (घंटों में) में कमी के लिए आनुपातिक आधार पर हर्जाना वसूलेगा। यह हर्जाना अनुबंध की कुल कीमत से अधिकतम 10% तक हो सकता है।

13. **<u>लैंगिक उत्पीड़न</u>** :

a) ठेकेदार को "**कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण**, **प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013"** के प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि बैंक परिसर के भीतर ठेकेदार के किसी कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक के ध्यान में आती है**,** तो बैंक उचित समझे जाने वाली कार्रवाई करेगा**,** जिसमें आपराधिक कार्यवाही और अनुबंध/करार को खत्म करना शामिल हो सकता है।

b) ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति संज्ञान लेगी।

c) यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं**,** तो किसी भी मौद्रिक मुआवज़े (जैसे कि बैंक के कर्मचारी

को दी जाने वाली कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है) के भुगतान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। **स्पष्टीकरण**: किसी भी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में नियोक्ता से संपर्क किया जाएगा और नियोक्ता का स्पष्टीकरण, विस्तार या निर्णय ही मान्य माना जाएगा। ऐसे संदर्भ और सावधानी की कमी के कारण काम में होने वाली किसी भी गलती के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

14. **करार की समाप्ति :** उपर्युक्त बातों पर असर डाले बिना, यदि बैंक की राय में (जिसे ठेकेदार चुनौती नहीं दे सकता और जो ठेकेदार पर लागू होगी) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस करार को लागू करने में असफल रहता है या मना करता है तो बैंक के पास यह अधिकार होगा कि वह अपनी मर्ज़ी से और बिना किसी कारण या मुआवज़े के, लिखित नोटिस देकर इस करार को तुरंत समाप्त कर दे।

- ठेकेदार इस करार की किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन करता है और/या
- बैंक की राय में (जिस पर ठेकेदार कोई सवाल नहीं उठाएगा और जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस करार को लागू करने में विफल रहता है या मना करता है और/या
- ठेकेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या वह अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता करता है, या ठेकेदार की किसी आस्ति या संपत्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई (जैसे कुर्की या ज़ब्ती) की जाती है या उसके लिए कोई रिसीवर नियुक्त किया जाता है और/या,
- किसी भी कारण से, ठेकेदार कानूनी रूप से इस करार के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के अयोग्य हो जाता है और/या
- बैंक की लिखित मंज़ूरी के बिना ठेकेदार या उसके व्यवसाय का स्वामित्त्व /साझेदारी या प्रबंधन में कोई बदलाव होता है।
- किसी भी कारण से इस करार के खत्म होने की स्थिति में, स्वामित्त्व या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से मुआवज़े, हर्जाने या किसी अन्य रूप में किसी भी राशि के हकदार नहीं होंगे।

15. तैनात किए गए किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी या काम के दौरान मृत्यु, चोट या दुर्घटना होने पर किसी भी तरह के मुआवज़े के भुगतान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। यह तय और समझा गया है कि तैनात कर्मचारियों और उनके परिवारों को ऐसा मुआवज़ा या हर्जाना देने के लिए सिर्फ़ ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।

16. बैंक में तैनात अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एजेंसी सभी ज़रूरी सावधानियां बरतेगी और अपने कर्मचारियों के साथ किसी भी अप्रिय घटना (जैसे मुआवज़ा आदि) के मामले में पूरी ज़िम्मेदारी एजेंसी की ही होगी।
17. स्पष्टीकरण: किसी भी मद या विनिर्देश में कुछ छूट जाने, कोई संदेह या अंतर होने की स्थिति में, नियोक्ता से संपर्क किया जाएगा। नियोक्ता का स्पष्टीकरण, विस्तृत जानकारी या निर्णय ही सही माना जाएगा। अगर ऐसे संपर्क और सावधानी की कमी के कारण काम में कोई गलती होती है, तो उसके लिए ठेकेदार को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

<u>अनुबंध प्रदान करना</u>

अ. बैंक इस निविदा की सभी शर्तों और नियमों के अनुपालन के आधार पर एल**1** बोलीदाता/सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा।

आ. बैंक "प्रस्ताव पत्र" के माध्यम से निर्णय की सूचना देगा।

इ. सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र जारी होने की तिथि से **14** दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के **14** दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक**,** लखनऊ के पक्ष में अनुबंध मूल्य के **5%** के बराबर प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी।

ई. प्रदर्शन बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण होने की तिथि से **60** दिनों तक वैध रहेगी।

उ. यदि अनुबंध अवधि को आगे बढ़ाया जाता है**,** तो प्रदर्शन बैंक गारंटी की वैधता भी एजेंसी द्वारा तदनुसार बढ़ा दी जाएगी।

ऊ. सफल बोलीदाता को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य दरों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक का अतिरिक्त क्षेत्र आबंटित किया जा सकता है।

ऋ. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए प्रतिदिन तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों (पर्यवेक्षकों सहित) की संख्या का उल्लेख करना होगा।

ऌ. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए प्रतिदिन तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों (पर्यवेक्षकों सहित) की संख्या का उल्लेख करना होगा।

<u>मैंने/हमने ऊपर स्पष्ट रूप से बताई गई सामान्य जानकारी, काम का दायरा और नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और यदि अनुबंध मिलता है, तो उसे पूरा करने के लिए इन्हें स्वीकार करते हैं।</u>

आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर

(कृपया सभी पृष्ठों पर नीचे हस्ताक्षर करें)

बैंकरों का विवरण **(अनुलग्नक -I)**

(एजेंसी/वेंडर के पत्रशीर्ष पर)

क्र.सं.	**मदें**	**विवरण**
1.	बैंकर का नाम:	
2.	शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता:	
3.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पद, साथ ही उनका टेलीफ़ोन नंबर	
4.	और फ़ैक्स नंबर आदि:	
5.	खाते का प्रकार:	
6.	खाता संख्या:	
7.	आईएफ़एससी कोड:	
8.	क्या अनुबंध क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ़्ट सुविधा का लाभ उठा रहा है:	
9.	वह अवधि जब से ठेकेदार बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है:	
10.	कोई अन्य जानकारी जो ठेकेदार अपने बैंकर के बारे में देना चाहे	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर के साथ)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
लखनऊ

अनुसूचित बैंक से बैंक प्रमाण-पत्र का प्रारूप

1. फर्म का स्वरूप (जैसे भागीदारी/ प्राइवेट लिमिटेड/ स्वत्वधारिता/ पब्लिक लिमिटेड)
2. फर्म/कंपनी के स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशकों का नाम।
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों (वर्ष-वार) के लिए फर्म का पण्यावर्त
(i)
(ii)
(iii)
4. फर्म द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
5. आचरण (संतोषजनक/असंतोषजनक/अन्य - कृपया बताएं)
6. खाता खोलने की तारीख:
7. खाता प्रकार
i. खाता संख्या
ii. खाताधारक का नाम
iii. आईएफ़एससी कोड
8. कोई अन्य टिप्पणी
9. कृपया अपनी राय दें कि क्या ऊपर बताई गई फर्म/कंपनी को 49 लाख रुपये के अनुमानित लागत वाले काम का अनुबंध देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम माना जा सकता है।

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पद

कर्मचारी आईडी (बैंक की मुहर के साथ)

नोट: बैंक का प्रमाण-पत्र बैंक के पत्र-शीर्ष पर होना चाहिए।

भागीदारी फर्म के मामले में, प्रमाण-पत्र में सभी भागीदारों के नाम होने चाहिए, जैसा कि बैंक के अभिलेख में दर्ज है।

ग्राहकों की रिपोर्ट

अनुलग्नक II

1	कार्य आदेश/संदर्भ संख्या और करार की तारीख	
2	अनुबंध का कुल मूल्य (रुपये में)	
3	अनुबंध शुरू होने की तारीख	
4	क्या सेवाएँ फ़र्म के साथ हुए समझौते और काम के दायरे (स्कोप) के अनुसार पूरी की गईं?	
5	देरी का कारण (यदि कोई हो) और क्या फ़र्म पर कोई दंड या परिनिर्धारित हर्जाना लगाया गया था?	
6	फर्म की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (ग्रेडिंग बताएं)	
	a) फर्म द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की गुणवत्ता	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	b) तकनीकी दक्षता/योग्यता	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	c) फर्म के भागीदारों/मालिकों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	d) फर्म के भागीदारों/मालिकों की अखंडता और विश्वसनीयता	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
	e) काम को पूरा करने की प्रक्रिया और समय-	उत्कृष्ट /बहुत

	सारणी व समय का पालन	अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
7	क्या फ़र्म ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया?	
8	आपकी दृष्टि में कोई और जानकारी जो निर्णय लेने में हमारी सहायता कर सके।	

(ग्राहक के पत्र-शीर्ष पर) फर्म के कामकाज का विवरण: मेसर्स ----------जो _____ में स्थित है।

रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान:

तारीख:

<u>अनुलग्नक III</u>

निष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रोफॉर्मा

(**जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर**)

स्थान:

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, लखनऊ

महोदय,

<u>आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध</u>

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और जो गोमती नगर, लखनऊ-226010 स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से काम कर रहा है (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा), ने इस काम (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) का अनुबंध मेसर्स (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, और इस शब्द में उनके उत्तराधिकारी और अधिकार-प्राप्त व्यक्ति भी शामिल होंगे) को सौंपा है।

और

जबकि ठेकेदार, अनुबंध में दी गई शर्तों और नियमों को ठीक से पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पास ₹_____ की कुल राशि की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने के लिए बाध्य है। हम, ...(बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार मेसर्स ..... के अनुरोध पर, अनुबंध की शर्तों और नियमों को ठीक से पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी के तौर

पर भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹..... से अनधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी इस बात की गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के साथ सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है और यह नतीजा हम पर और ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा, तो आरबीआई के माँगने पर हम बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹_____ या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को अनुबंध के तहत ठेकेदार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देनदारी ₹_____ से अधिक न हो। हम यह भी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई ₹_____ से अधिक न होने वाली राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के करेंगे, बस आरबीआई से लिखित नोटिस मिलने पर जिसमें कहा गया हो कि यह राशि उन्हें देय है; हम किसी और सबूत या प्रमाण की माँग नहीं करेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और हम किसी भी तरह से उस पर सवाल नहीं उठाएँगे। बैंक आरबीआई को माँगी गई राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार ने किसी न्यायालय, अधकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में इससे संबंधित कोई विवाद उठाया हो; और इस गारंटी के तहत देनदारी पूरी तरह से पक्की और स्पष्ट होगी। हम ऊपर बताए गए नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा माँगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

2. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार या करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगी।

3. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि:

a) अगर आरबीआई उस करार की शर्तों को लागू करने या उसमें बताई गई किसी भी शर्त का पालन करने में कोई ढील देता है, या ठेकेदार को कोई अतिरिक्त समय या रियायत देता है, या इससे जुड़े किसी भी मामले में कोई कार्रवाई करता है, तो भी हम इस गारंटी के तहत अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे। यह गारंटी हमारे द्वारा ₹_____ की राशि का भुगतान करने पर तभी खत्म होगी जब ठेकेदार अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ले, या अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं। इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी ₹_____ की राशि से ज़्यादा नहीं होगी। हमारे ग्राहकों की तरफ़ से किसी कमी या अनियमितता, या उनकी ज़िम्मेदारियों में किसी कमी, या उनके संगठन के भंग होने या उसमें बदलाव होने से इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

b) यह गारंटी दोष दायित्व अवधि के बाद भी 60 दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते आरबीआई के चाहने पर इसे आगे की उस अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाए जो वे निर्दिष्ट करें ; और यह नवीनीकरण उन्हीं शर्तों और नियमों के तहत होगा जो इसमें दिए गए हैं।

c) इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसे ऊपर बताए अनुसार नवीनीकृत न किया जाए, या उस तारीख तक जब हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें (इन दोनों में से जो भी तारीख बाद में हो) और इस बात का पक्का साक्ष्य केवल आरबीआई का लिखित प्रणाम-पत्र ही होगा। अगर तय समय या बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुक़दमा या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत हमारे विरुद्ध आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें इस गारंटी के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

इसके प्रमाणस्वरूप, बैंक की ओर से विधिवत प्राधिकृत होने के नाते, मैंने/हमने (महीना) (वर्ष) को इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

(बैंक का नाम) की ओर से और उनके लिए - प्राधिकृत बैंक अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर और मुहर:

पदनाम

बैंक की मुहर/सील

बैंक की ओर से और बैंक के लिए, ऊपर बताए गए व्यक्ति द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, सील लगाई गई और सुपुर्द किया गया।

गवाह 1

हस्ताक्षर ..... नाम .....

पता .....

गवाह 2

हस्ताक्षर ..... नाम .....

पता .....

(ध्यान दें: इस निष्पादन बैंक गारंटी पर उस राज्य के नियमों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जहाँ इसे जारी किया जा रहा है, और इस पर उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिनके हस्ताक्षर और प्राधिकार की पुष्टि की जाएगी।)

खंड : J- मात्राओं की अनुसूची

आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध

सारणी :1- यह केवल उदाहरण के लिए है और कीमत बोली को भाग I – तकनीकी बोली के साथ जमा नहीं किया जाना चाहिए। इसे CPP पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए, और भाग- II के साथ कोई भी संलग्नक नहीं लगाया जाना चाहिए।

एक साल की मज़दूरी/वेतन

वेतन और अन्य सांविधिक घटकों की गणना		
विवरण	**अर्ध-कुशल**	**कुशल**
बेसिक + वीडीए/दिन	918.00	1008.00
बेसिक + वीडीए प्रति माह (श्रम और रोज़गार मंत्रालय की 08 मई 2026 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 26 दिनों के लिए गणना की गई) - 8 अर्ध-कुशल (माली/गार्डनर) और 1 कुशल कामगार (सुपरवाइज़र/गार्डनर) प्रति माह।	1,90,944.00	26,208.00
प्रति माह 3 अर्ध-कुशल और 6 अकुशल कामगारों के लिए कुल वेतन घटक (मद संख्या 1)	2,17,152.00	
8 अर्ध-कुशल और 1 कुशल कामगार के लिए 13% प्रति माह ईपीएफ़	15,600.00	1,950.00
ईएसआई @ 3.25%/माह	लागू नहीं	लागू नहीं
ग्रेच्युटी	जैसा लागू हो	जैसा लागू हो
बोनस @ 8.33%/माह (जैसा लागू हो)	15,905.64	2,183.13
ईपीएफ़+ईएसआई+बोनस+ ग्रेच्युटी जैसा कि मासिक आधार पर लागू हो	31,505.64	4,133.13
प्रति माह 8 अर्ध-कुशल और 1 कुशल कामगारों के लिए कुल वैधानिक घटक (**मद संख्या 2**)	35,638.77	

क्रम संख्या	गणना				
A.	**न्यूनतम मजदूरी के घटक**: –. एक साल के लिए सभी कर्मचारियों का कुल वेतन: इस राशि में भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार बेसिक वेतन (न्यूनतम) (साथ ही वेरिएबल महंगाई भत्ता)**,** गार्डेनर/ माली (अर्ध कुशल) और सुपरवाइजर (कुशल) का वेतन**,** और लागू होने वाले कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)**,** कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़)**,** ग्रेच्युटी और बोनस शामिल हैं। **(न्यूनतम मजदूरी + सांविधिक घटक)**				
	मजदूरी घटक श्रमशक्ति तैनाती शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)	12	माह	2,17,152.00 प्रति माह	26,05,824.00 प्रति वर्ष
	(i) मजदूरी से संबंधित सांविधिक घटक (ii) ईपीएफ़ओ के तहत ईपीएफ़ओ प्रशासनिक शुल्क में योगदान (iii) ईडीएलआई योगदान (जीएसटी को छोड़कर) (iv) बोनस और ग्रेच्युटी (जीएसटी को छोड़कर)	12	माह	35,638.77 प्रति माह	4,27,665.24 प्रति वर्ष
परिवर्ती घटक**:**					
B	निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड / मद 1 और 2 के लिए सेवा प्रभार (न्यूनतम 3%) = मद संख्या (1+2) का % सेवा प्रभार – (A का न्यूनतम 3%)			**सीपीपीपी में प्रतिशत बताना होगा।**	
C	उद्यानिकी के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे मिट्टी, गोबर की			**दरें सीपीपीपी**	

	खाद, कीटनाशक, खरपतवार-नाशक वगैरह, और औज़ार व उपकरण, टेंडर की शर्तों के अनुसार पूरे साल खरीदे जाने हैं। इस काम में नए पौधे उपलब्ध कराना और सप्लाई करना भी शामिल है, ताकि बैंक के शिष्टाचार एवं सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशानुसार मुख्य कार्यालय परिसर में गमलों सहित फूलों वाले पौधों का कम से कम 1500 का स्टॉक बनाए रखा जा सके।	**में बताई जानी हैं।**	
D	इसमें शामिल हैं: साल में दो बार कर्मचारियों के लिए वर्दी का सेट (गर्मी और सर्दी के लिए एक-एक सेट और रेनकोट), परिवहन का खर्च, मलबा हटाने का खर्च, ढुलाई का खर्च, अन्य सभी आकस्मिक खर्च और कर्मकार प्रतिकर योजना, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, श्रमिक कल्याण निधि और अन्य विविध खर्च (दायरे के अनुसार लागू)। कृपया 12 महीनों के लिए दर बताएं।	**दरें सीपीपीपी में बताई जानी हैं।**	
सामाग्री का विवरण	**मात्रा**	**इकाई**	
खाद	**4**	**ट्रॉली**	
मिट्टी	**2**	**ट्रॉली**	
घास काटने वाली मशीनें (किराये पर लेने के लिए - 4 नग)	**4**	**किराये के आधार पर संख्या**	
I पाइप – 800मीटर	**2600 लगभग**	**फीट**	
फावड़ा, कुदाल, खुरपी आदि।	**एकमुश्त**		
पानी के स्प्रिंकलर	**2**	**संख्या**	

(कम से कम 2)			
प्रूनर, चेनसा, लीफ़ ब्लोअर, वगैरह।	**एकमुश्त**	**एकमुश्त**	
कीटनाशक, आदि।	**एकमुश्त**		
कार्यालय परिसर में कम से कम 1500 फूलों के गमलों के रखरखाव के लिए नए गमले और नए पौधे उपलब्ध कराना और उनकी सप्लाई करना।	**एकमुश्त**		

ध्यान दें कि सामाग्री की आपूर्ति के बदले भुगतान, बैंक द्वारा बताए गए विनिर्देशों के अनुसार सामाग्री के वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर प्रसंस्करित किया जाएगा।

केवल परिवर्ती घटक (Variable component) का ही सीपीपी पोर्टल में उद्धरण (quote) दिया जाना है।

- बोली लगाने वालों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
  - कीमत एक साल के लिए बताई जानी चाहिए।
  - मज़दूरी का हिस्सा बताते समय, अगर वे न्यूनतम राशि से कम बताते हैं, तो उन्हें **अयोग्य** ठहराया जा सकता है।
  - सेवा प्रभार बताते समय, **(मज़दूरी + मज़दूरी से जुड़े सांविधिक हिस्से) के न्यूनतम 3% से कम राशि/प्रतिशत बताने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।** उन्हें अपने तैनात हाउसकीपिंग स्टाफ़ के ज़रिए काम पूरा करने के लिए मैनेजरियल, सुपरवाइज़री या प्रशासनिक सेवाएँ देने पर होने वाले सभी खर्चों को इसमें शामिल करना चाहिए।
  - "शून्य" या अतार्किक/अनुचित/अव्यावहारिक कोटेशन देने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
  - उन्हें काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सफ़ाई के सामान की मात्रा के बारे में खुद संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर वे चाहें, तो बोली जमा करने से पहले काम की मात्रा का अंदाज़ा लगाने के लिए एजेंसी कार्यस्थल का दौरा कर सकती

है।

- "उद्योग" के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें (साथ में वीडीए), मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार तय की गई हैं, जो 01 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन सांविधिक दरों (जैसे न्यूनतम मजदूरी, वीडीए, ईपीएफ़, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, जीएसटी आदि) में भविष्य में की जाने वाली कोई भी बढ़ोतरी या कटौती दोनों पक्षों पर लागू होगी और बैंक द्वारा उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
  - ईपीएफ़ और ईएसआई जैसे सांविधिक भुगतान, अगर लागू हों, तो संबंधित अधिकारियों अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तय किए गए नवीनतम नियमों और कानूनों के अनुसार गणना की जाती है।
  - अगर लागू हो, तो बोनस की गणना नवीनतम संशोधन [बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015, जो 01.01.2016 को अधिसूचित किया गया और 01.04.2014 से प्रभावी हुआ] के अनुसार की जाती है।

भाग II

<u>आरबीआई, लखनऊ के कार्यालय परिसर में उद्यानिकी और बागवानी कार्य के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध</u>

<u>रेट CPP पोर्टल पर (एक्सेल फ़ॉर्मैट में) 'प्राइस बिड' सेक्शन के तहत बताए जाने चाहिए।</u>

वित्तीय बोली

वेतन और अन्य सांविधिक घटकों की गणना		
	अर्ध-कुशल	कुशल
बेसिक +वीडीए /दिन	918	1008
बेसिक +वीडीए प्रति महीना (श्रम और रोजगार मंत्रालय के गजट अधिसूचना के अनुसार 26 दिनों के लिए गणना की गई)	स्वचालित गणना	स्वचालित गणना
8 अर्ध-कुशल और 1 कुशल कामगार (माली) के लिए कुल मजदूरी घटक (मद संख्या 1)	स्वचालित गणना	
ईपीएफ़ @ 13%/माह	15,600	1950
ईएसआई @ 3.25%/माह	लागू नहीं	लागू नहीं
बोनस @ 8.33%/माह	स्वचालित गणना	स्वचालित गणना
ग्रेच्युटी	जैसा लागू हो	जैसा लागू हो
ईपीएफ़+ईएसआई+बोनस+ ग्रेच्युटी जैसा कि प्रति माह लागू हो	स्वचालित गणना	स्वचालित गणना
8 अर्ध-कुशल और 1 कुशल कामगारों के लिए ग्रेच्युटी के कुल सांविधिक घटक (मद संख्या 2)	स्वचालित गणना	

मद संख्या	**वस्तु का विवरण**	**मात्रा**	**इकाई**	**दर (जीएसटी के बिना)**	**कुल/वर्ष (जीएसटी सहित)**

1	**<u>वेतन/मजदूरी घटक</u>** निविदा में बताए गए काम के दायरे और शर्तों के तहत काम करने के लिए श्रम शक्ति लगाने का खर्च। **बोली लगाने वाले को इस भाग के लिए दर नहीं बताने होंगे।** यह राशि निविदा के अनुलग्नक-A के अनुसार तय की गई है।	12	माह	उपर्युक्त दरों (बेसिक + वीडीए/दिन) के अनुसार स्वचालित गणना की गई।	उपर्युक्त दरों (बेसिक + वीडीए/दिन) के अनुसार स्वचालित गणना की गई।
2	वेतन से जुड़े सांविधिक घटक **(i)** ईपीएफ़ओ में योगदान **(ii)** ईपीएफ़ओ के तहत प्रशासनिक शुल्क **(iii)** ईडीएलआई योगदान **(iv)** बोनस और ग्रेच्युटी। **बोली लगाने वाले को इस घटक के लिए दरें नहीं बतानी हैं। यह राशि टेंडर के अनुलग्नक -A के अनुसार तय की जाती है।**	12	माह	उपर्युक्त दरों (बेसिक + वीडीए/दिन) के अनुसार स्वचालित गणना की गई।	उपर्युक्त दरों (बेसिक + वीडीए/दिन) के अनुसार स्वचालित गणना की गई।

परिवर्ती घटक

3	निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदार का मुनाफ़ा और ओवरहेड / मद 1 और 2 के लिए सेवा प्रभार (कम से कम 3%) = मद **संख्या (1+2) का %**	12	माह	सीपीपी पोर्टल में प्रतिशत संख्या बतानी है।	साथ में दी गई दरों के अनुसार स्वचालित गणना की गई है।

4	उद्यानिकी के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे मिट्टी, गोबर की खाद, कीटनाशक, खरपतवार-नाशक आदि और औज़ार व उपकरण निविदा की शर्तों के अनुसार पूरे साल खरीदे जाने हैं। इस काम में नए पौधे उपलब्ध कराना और आपूर्ति करना भी शामिल है, ताकि बैंक के शिष्टाचार एवं सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशानुसार मुख्य कार्यालय परिसर में गमलों के साथ फूलों वाले पौधों का कम से कम 1500 का स्टॉक बनाए रखा जा सके। कृपया 12 महीनों के लिए दर बताएं।	12	माह	दरें सीपीपी पोर्टल में बताई जानी हैं।	साथ में दी गई दरों के अनुसार स्वचालित गणना की गई है।
5	इसमें शामिल हैं: वर्ष में दो बार कर्मचारियों के लिए वर्दी का सेट (गर्मी और सर्दी के लिए एक-एक सेट और रेनकोट), परिवहन का खर्च, मलबा हटाने का खर्च, ढुलाई का खर्च, अन्य सभी आकस्मिक खर्च और कर्मकार प्रतिकर योजना, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, श्रम कल्याण निधि और अन्य विविध खर्च (दायरे के अनुसार लागू)। **कृपया 12 महीनों के लिए दर बताएं।**	**12**	**माह**	दरें सीपीपी पोर्टल में बताई जानी हैं।	साथ में दी गई दरों के अनुसार स्वचालित गणना की गई है।
6	**जीएसटी सहित कुल**				**स्वचालित गणना**

ठेकेदार का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

<u>उक्त कार्य के लिए दरों को तकनीकी दस्तावेजों के साथ अपलोड न करें।</u>

नोट:

केवल परिवर्ती घटक (Variable component) (सं 3 से 5) का ही सीपीपी पोर्टल में उद्धरण (quote) दिया जाना है।

एक) किसी भी आपातकालीन स्थिति में, उपर्युक्त तय काम के घंटों के बावजूद, माली को काम जारी रखना होगा और आपातकाल खत्म होने तक कार्यस्थल नहीं छोडना होगा।

दो) बैंक पर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जानी चाहिए।

तीन) वेंडर को केयरटेकर और शिष्टाचार एवं सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिल के साथ उपस्थिति पत्रक/कार्ड जमा करना होगा। काम किए गए दिनों का बिल, उद्धृत दर के अनुसार प्रति दिन की गणना की गई दर के आधार पर वेंडर को देय होगा।

चार) उद्यान क्षेत्रों के नए विकास/नए पेड़ उपलब्ध कराने के लिए भुगतान बाजार/खरीद दर के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ठेकेदार का 15% लाभ और जीएसटी (यदि लागू हो) जोड़ा जाएगा, या बैंक द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक और वास्तविक चालान के अनुसार वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

पाँच) किसी भी पेड़, उद्यान क्षेत्र के नए विकास या उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता बैंक को बताई जाएगी और बैंक द्वारा अनुमोदन और सत्यापन के बाद ही उन्हें खरीदा और उपलब्ध कराया जाएगा।

छः) निविदाकार को निविदा में दरें कोट करने से पहले कार्यस्थल का निरीक्षण करना चाहिए और काम की मात्रा के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए, जिसमें जैविक अपशिष्ट परिवर्त्तक का संचालन/मशीन का काम भी शामिल है।

सात) यदि काम के दौरान उत्पन्न मलबे को ठेकेदार द्वारा बैंक परिसर से नहीं हटाया/ले जाया जाता है, तो बैंक द्वारा इसे ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर हटा दिया जाएगा और इसके लिए हुए वास्तविक खर्च की वसूली ठेकेदार के बकाया भुगतान से की जाएगी। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अनुरोध/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

आठ) कोट की गई दरों में सभी कर शामिल होंगे, जैसे जीएसटी, कोई अन्य लागू स्थानीय, राज्य और केंद्रीय सरकार के कर आदि। इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- **ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले कार्यस्थल का दौरा करें और निविदा के भाग-I में बताए गए काम के दायरे को ध्यान से देखें।**

स्थान: **ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर**

दिनांक